अशोधित प्रति / प्रकाशनार्थ नहीं

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृतान्त

अंक 8 बारहवीं विधान सभा के अष्टम सत्र का चतुर्थ दिवस संख्या:4

शुक्रवार;
21 सितम्बर,2007

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

अनेक माननीय सदस्य: राम- राम, राम-राम ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): आपने राम राम नहीं बोला।

श्री अध्यक्ष: यह नई परम्परायें, पुराने जिसे कहना चाहिए माननीय सदस्य और मंत्री क्यों डाल रहे हैं। आज दिन तक तो यह बोला नहीं जाता था केवल हाथ जोड़े जाते थे। जो नये हैं उनको करने दीजिए आप लोग क्यों करने लग गए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): आपने नहीं किया इसलिए कह दिया।

श्री अध्यक्ष: हां मैंने नहीं किया। मैंने पहले भी टोका है कि देखिये मुंह से नहीं बोला जाता है केवल हाथ जोड़कर अभिवादन किया जाता है। पहले भी कह चुकी हूं ले किन कई माननीय सदस्य, आप देख नहीं रहे कि जब आसन खड़ा होता है तो अंत में आसन को बैठना पड़ता है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): विपक्ष के नेता खड़े हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: छुट्टी है, उनकी छुट्टी है। ठीक है, श्री लालचंद कटारिया।

श्री लालचन्द कटारिया (आमेर): प्रश्न संख्या 34 (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सदन के नेता, प्रतिपक्ष के नेता को छूट होती है।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): किस बात की छूट ?

श्री अध्यक्ष: चाहे जब बोल सकते हैं, चाहे जब आ सकते हैं।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): वह तो ठीक है (व्यवधान) वह भी आपकी अनुमति से। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: चाहे जब आ सकते हैं, चाहे जब बोल सकते हैं।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): चाहे जब तो नहीं आ सकते। घुटनों के बल, मान्यवर घुटनों के बल कभी भी आ सकते हैं।

श्री अध्यक्ष: हां..?

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): घुटनों के बल कभी भी आ सकते हैं। सीधा सिर ऊपर करके नहीं आ सकते। घुटनों के बल आ सकते हैं । (व्यवधान) मैं तो घुटनों के बल आया हूं।

तारांकित प्रश्नोत्तर

जिला मुख्यालय क्षेत्र में घटित दुर्घटनाओं में त्वरित सहायता हेतु रोगी वाहन की व्यवस्था

34. श्री लालचन्द कटारिया (आमेर):क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जयपुर शहर एवं आसपास के क्षेत्र में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में होने वाले घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाने व प्राथमिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु यातायात पुलिस के पास कितनी एम्बुलेंस गाड़ियां है एवं उन पर किस किस श्रेणी का कितना-कितना स्टाफ नियुक्त है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार मरीजों/घायालों को त्वरित इलाज की सुविधा उपलब्ध करवाने की मंशा से राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर आवश्यक उपकरणों एवं चिकित्ससा दल से परिपूर्ण एम्बुलेंस गाड़ियां उपलब्ध करवाने का विचार रखती है ? यदि हां तो, कब तक व नहीं तो क्यों ?

गृह मंत्री (श्री गुलाबचन्द कटारिया): (1) जयपुर शहर एवं आसपास के क्षेत्रों में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों को तुरंत अस्पताल पहुंचाने एवं फर्स्ट ऐड सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पुलिस विभाग के पास उपलब्ध एम्बुलेंस गाडियों एवं स्टाफ का ब्यौरा परिशिष्ट क में सलंग्न है। सभी एम्बुलेंस के लिए आवश्यक वाहन चालक सहयोगी कर्मी थाने की नफरी से उपलब्ध कराये जाते हैं। अलग से स्टाफ स्वीकृत नहीं है।

(2) जी हां । बजट की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

श्री लालचन्द कटारिया (आमेर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि राजस्थान की राजधानी जयपुर, मैंने क्वेश्चन दिया है जयपुर शहर व उसके आसपास के क्षेत्र। आपने उत्तर में एम्बुलेंसों के नाम दिये हैं और उसमें आपने दूदू,आमेर,फागी,शहपुरा और फुलेरा इन थानों में तो आपके पास क्या व्यवस्था है ? दूसरा आपने जयपुर शहर का कोई इसमें जवाब नहीं दिया। जयपुर शहर में चार एक्सीडेंट थाने हैं, तो क्या उन पर एक भी एम्बुलेंस नहीं है उनके पास और नहीं है तो सरकार उनकी क्या व्यवस्था कर रही है ?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात पूछी है वह सच है कि पुलिस विभाग के पास जयपुर शहर में कोई एम्बुलेंस नहीं है, आसपास की जो एम्बुलेंस, हमने आपको सूची दी है वह भी विधायक महोदय ने या किसी स्वंयसेवी संस्था ने या परिवहन विभाग ने,इन्होंने उपलब्ध कराई हुई है। हमारे विभाग की एक केवल वाहन, मैंने आठ की जो सूची दी है चौमू में रामलाल जी ने उपलब्ध कराई है, गोविन्दगढ़ में भी उन्होंने उपलब्ध कराई, सामोद में भी रामलाल जी शर्मा ने। दूदू में परिवहन विभाग की हमारे पास मिली हुई है। केवल परागपुरा ऐसी जगह हे जहां हमारे पुलिस विभाग की एक एम्बुलेंस है। शाहपुरा में भी परिवहन विभाग की है। कानौता में निराला दंत मंजन यह जो वालेन्ट्री इन्स्टीटयूशन है इसने दी है। बस्सी में भी हमारे वहां के विधायक ने जनसहयोग से हमें यह उपलब्ध कराई है लेकिन यह सच है कि बाकी सभी जिलों में भी जिला चिकित्सालयों में इस प्रकार की एम्बुलेंस भी है।

श्री लालचन्द कटारिया (आमेर): मंत्री महोदय, मैं बाकी जिलों की बात नहीं कर रहा मैं जयपुर शहर, जयपुर इतना बड़ा शहर है उसमें चार एक्सीडेंट थाने हैं, उनमें क्या व्यवस्था है आपके पास, एक बात। दूसरी, जमुवारामगढ़ में जयपुर ग्रामीण से आने वाले विधायक बृजकिशोर जी ने जो एम्बुलेंस दे रखी है उसका तो विवरण ही नहीं है इसमें, दो साल पहले ही चालू है। आपके पास सही आंकड़े ही नहीं है। यातायात पुलिस के पास में एक्सीडेंट थानें में एक एम्बुलेंस है जो पिछले पन्द्रह साल से खराब पड़ी है।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): मेरे को एम्बुलेंस दिये डेढ़ साल हो गया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पुलिस विभाग की नहीं है लेकिन चिकित्सा विभाग की जयपुर शहर में भी विभिन्न स्थानों पर एम्बुलेंस उपलब्ध है। जयपुर में आपका बनीपार्क में सेटेलाइट अस्पताल है इसमें है। सेठी कालोनी में है, शास्त्री नगर में है, जयपुरिया अस्पताल में है और एस एम एस अस्पताल में दस एम्बुलेंस है, तो यह तो चिकित्सा विभाग की है। पुलिस विभाग की, यह सच है कि हमारे पास जयपुर शहर के थानों पर इस प्रकार की एम्बुलेंस नहीं है यह सच है। ग्रामीण क्षेत्र में भी जो है हमें वह विभिन्न विधायकों के सहयोग से, जनसहयोग से या परिवहन विभाग के सहयोग से मिली है वह हमारे पास है। पुलिस विभाग के पास नहीं है, यह सच है।

श्री लालचन्द कटारिया (आमेर): नहीं है तो आप यह कब तक उपलब्ध करा देंगे, इसमें आपका मन है कि नहीं ?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैंने इसमें आपको दिया है कि जैसे ही, मैं जरूर आज सदन को यह आश्वस्त कर रहा हूं कि हमारा जो कन्ट्रोल रूम है उस पर एक एम्बुलेंस निश्चित रूप से रहे।

श्री लालचन्द कटारिया (आमेर): चार थाने हैं। चार थाने जयपुर शहर के। आज यदि अजमेरी गेट पर काई सूचना पहुंचती है और वैशाली में एक्सीडेंट होता है तो वहां पुलिस को पहुंचने में एक घंटा लग जाता है और फिर जब पुलिस एम्बुलेंस के लिए सवाई मानसिंह

अस्पताल फोन करें जब तक तो मरीज मरा हुआ, जिस आदमी का एक्सीडेंट हुआ है वह वहीं मर जाता है। चार एक्सीडेंट थानों में आपके पास एक एम्बुलेंस नहीं है आपके पास। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैं तो स्वीकार कर रहा हूं।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय गृह मंत्री महोदय, आदमी मर रहा है उस वक्त भी आप जनसहयोग मांग रहे हो। आपके पुलिस के बजट से आपको पर्याप्त मात्रा में एम्बुलेंस खरीदनी चाहिए और उसका इक्यूपमेंट मेडीकल हैल्थ डिपार्टमेंट से आपको मांगना चाहिए। 24 घंटे आपके यहां एम्बुलेंस तैयार रहनी चाहिए, नहीं तो आपने ट्रेफिक पुलिस बनाई ही क्यों है, बनाई है तो उसके पास में एम्बुलेंस होनी चाहिए। सड़क पर आदमी पडा रहता है, जल्दी पहुंच जाए तो बच सकता है। जब आप मारनेमें मदद कर रहे हो तो बचाने में भी मदद करो। (व्यवधान) मारने में इसलिए मदद कर रहे हो कि आपकी ट्रेफिक व्यवस्था बहुत दोषपूर्ण है...

श्री लालचन्द कटारिया (आमेर): बचाने के लिए भी मदद करें।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): इसकी वजह से दुर्घटनायें हो रही है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): आपने प्रश्न ऐसा पूछा जिसका जवाब शायद मैं तो नहीं दे पाऊंगा, किसी और को ही देना पड़ेगा। यह बात सच है, मैं कोई छिपा नहीं रहा हूं जितने भी यहां हास्पिटल हैं उनमें सुविधा पुलिस के पास नहीं है कन्ट्रोल रूम पर। मैं आश्वस्त करता हूं कि चाहे यहां के जनप्रतिनिधि या हमारे विभाग, कहीं से भी उपलब्ध होगी निश्चित रूप से एक एम्बुलेंस हर समय 24 घंटे हमारे कन्ट्रोल रूम पर खड़ी रहेगी ताकि जब कभी भी कोई सूचना मिले तो तुंरत उसको सहायता पहुंचाई जाए।

श्री लालचन्द कटारिया (आमेर):अकेला पूर्वी थाना है जो आपके जयपुर शहर का...(व्यवधान) उसमें पिछले 6 महीने में 163 दुर्घटनाएं हुई हैं 35 आदमी मारे गए। दस आदमियों की मौत तो एम्बुलें के कारण हुई, एम्बुलेंस यदि टाइम पर मिलती और उनको मेडीकल रिलिफ मिलती तो वह बचाये जा सकते थे।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): माननीय मंत्री जी से...

श्री अध्यक्ष: आपके नेता प्रतिपक्ष खड़े हैं।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आप जवाब नहीं देंगे तो दूसरा कौन जवाब देगा। आपके बजट से खरीदो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): आपके सवाल का नहीं दे पाऊंगा।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): बजट बनाते समय आपको रेजिस्ट करना चाहिए कि लॉ एंड आर्डर की जिम्मेदारी मेरी है और मेरे को यह आवश्यकता है तो चीफ मिनिस्टर और मंत्रिमण्डल आपको इंकार थोड़े ही करेगा। आपको कोई इंकार नहीं करेगा लेकिन आपकी सोच इस मामले में नहीं है।

श्री अध्यक्षः आपने करवा दी ना आज सोच, अब सोचेंगे वह। आज आपने सुझाव दे दिया।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं यह पूछना चाहता हूं....

श्री अध्यक्षः हां, पूछिये।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): कि नाइंथ और टेन्थ फाइव ईयर प्लान में, केन्द्र सरकार ने स्टेट हाइवे और नेशनल हाइवे पर एक्सीडेंट नहीं हो इसके लिए बजटीय प्रावधान किया था, आपने क्या कोई प्रपोजल भेजा। उन्होंने अपने लोकसभा के सवाल के जवाब में कहा है कि तीस करोड़ रूपये और उसके बाद पुनः तीस करोड रूपये उन्होंने आवंटित किये थे, आपने राज्य सरकार की तरफ से एक भी प्रपोजल नहीं भेजा। इसके साथ में आप यह भी बताइये क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक्सीडेंट बढ़ते जा रहे हैं, हाइवे एक्सीडेंट रिलिफ सर्विस स्कीम जो केन्द्र सरकार की बनी हुई है जिसके अन्तर्गत यह प्रावधान है कि हाइवे के ऊपर हर पचास किलोमीटर पर एक एम्बुलेंस उपलब्ध कराई जाएगी। केन्द्र सरकार उसकी राशि उपलब्ध कराती है। यहां से अपन ने कितने प्रपोजल भेज दिये और कितनी एम्बुलेंस अभी तक आ गई ?

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं कि यदि मंत्री महोदय के पास में एम्बुलेंस खरीदने, सरकार के पास एम्बुलेंस खरीदने के लिए पैसा नहीं है एक एम्बुलेंस मैं मेरे विधायक कोष से उनको देने को तैयार हूं।

दुर्गा 1110 1b 21092007

श्री अध्यक्षः बहुत अच्छा। आप धन्यवाद तो दे दीजिये उन्हें, आप धन्यवाद तो दे दीजिये।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से एक प्रश्न करना चाहता हूं। अगर आपको एम्बुलेंस उपलब्ध हो जाए तो क्या उसके लिये स्टाफ की व्यवस्था भी साथ में होगी या वह एम्बुलेंस खड़ी ही रहेगी। अन्य विधायकगण भी जिले के स्तर पर उपलब्ध करवा सकते हैं। प्राथमिक स्तर पर स्टाफ की क्या व्यवस्था होगी, यह भी साथ में बताने का कष्ट करें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न के जवाब में ही बताया कि जो भी एम्बुलेंस हमें मिली है, हमारे पास जो नफरी आज थाने में है उसी में से ही हम उसमें ड्राइवर और स्टाफ उपलब्ध करवा रहे हैं और आगे भी अगर आप में से कोई देंगे तो हम निश्चित रूप से जो स्टाफ हमारे पास है हम उसमें से उपलब्ध करवाएंगे। जयपुर ग्रामीण से आने वाले माननीय सदस्य को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने एम्बुलेंस उपलब्ध कराई।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): मंत्री महोदय, सवाल मेडिकल स्टाफ का है। क्योंकि एम्बुलेंस में पुलिस कांस्टेबल की आवश्यकता नहीं, मेडिकल स्टाफ की आवश्यकता रहेगी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): मेडिकल स्टाफ तो, एक बार उसे पहुंचा देने का काम, हमारी जो एम्बुलेंस है वह करती है, बाकी सभी जिला स्तर पर मेडिकल स्टाफ वाली एम्बुलेंस सब जगह उपलब्ध है।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): फर्स्ट-एड तो चाहिए होगी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): और जितने भी आपके हाइ-वे के बारे में कहा है, हाइ-वे पर जहां-जहां पर ट्रोमा अस्पताल है, वहां यह सुविधा दी हुई है। जितनी अभी तक हमको उपलब्ध हुई है, भीम में इस प्रकार की, राजसमन्द में उपलब्ध है, किशनगढ़ में उपलब्ध है, शाहपुरा में उपलब्ध है, सोजत में उपलब्ध है, देवली में उपलब्ध है और महुवा में उपलब्ध है। यह नेशनल हाइ-वे पर जो ट्रोमा हास्पिटल का कंसेप्ट है और जिसके कारण से केन्द्र का सहयोग भी मिला है, वहां इन सब जगह पर यह सुविधा वहां ट्रोमा हास्पिटल के माध्यम से आलरेडी नेशनल हाइ-वे पर उपलब्ध है।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): केन्द्र सरकार ने जो राशि उपलब्ध कराई उसके लिये आपने प्रपोजल बनाकर क्यों नहीं भेजा। आप यह सदन को आश्वस्त कर दें कि एक तो केन्द्र सरकार से हाइ-वे के कारण, जितनी भी एम्बुलेंस मिलती हैं उसकी पूरी राशि राज्य को देंगे-नम्बर एक। नम्बर-दो, आप अपनी तरफ से सारे विधायकों को यह पत्र लिखें कि अपने-अपने विधान सभा क्षेत्र में एक-एक एम्बुलेंस अपने विधायक कोष से वह देंगे, जिससे कि इस समस्या का समाधान हो सके।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैं आपके सुझाव से सहमत हूं और मैं अपनी तरफ से भी आप सब विधायकों से निवेदन करुंगा, निश्चित रूप से जितनी आप लोगों से एम्बुलेंस मिलेगी उसमें हम अपने स्टाफ से जितनी व्यवस्था कर सकते हैं, निश्चित रूप से करेंगे। बाकी जो केन्द्र सरकार से इस तरह की जो सुविधा मिलती है, जिस विभाग से है, एकदम पूरी सही जानकारी मेरी नहीं है। मैं आपको अधूरी जानकारी नहीं दूंगा लेकिन जहां-जहां नेशनल हाइ-वे पर इस प्रकार की व्यस्था मेडिकल विभाग और पी.डबल्यू.डी. के सम्मिलित प्रयास से जो कुछ हुआ, उसको मैंने आपके सामने रखा है।

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र बनीपार्क के अन्दर 18 थाने हैं।

श्री मंगलाराम गोदारा (श्रीडूंगरगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, हाइ-वे पर अगर आप स्टाफ की व्यवस्था कर देंगे तो एक एम्बूलेंस देने के लिये मैं भी तैयार हूं। क्योंकि हाइ-वे पर भंयकर एक्सीडेंट होते हैं। हमारे डूंगरगढ़ में इस हाइ-वे पर हमेशा एक्सीडेंट एक-दो, एक-दो हमेशा एक्सीडेंट होते हैं। वह बीकानेर जाते-जाते, 60 किलोमीटर पर वह खत्म हो जाते हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय गृह मंत्रीजी, आप तो एक पत्र सारे विधायकों को लिख दो। सारे विधायक आपको एक-एक एम्बुलेंस दे देंगे, आपका काम आसान हो जाएगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है, मैंने माननीय विधायकों से जब-जब मेरे विभाग के बारे मं जो आवश्यकता मैंने आपको भेजी, कम्प्युटर की दृष्टि से मैं सोचता हूं कि अधिकांश विधायकों ने कम्प्युटर उपलब्ध करवाये और आज थानों में शत-प्रतिशत कम्प्युटर थानों तक पहुंच गये। आज यह विषय ध्यान में आया। मैं आपको निश्चित रूप से 2-4 दिन में ही यह पत्र भेजूंगा। आप अपनी-अपनी सुविधा के अनुसार सब जगह हमको एम्बुलेंस उपलब्ध करवायें।

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र बनीपार्क में 18 थाने हैं। मैं मेरे विधायक कोष से दो एम्बूलेंस देने की घोषणा करता हूं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री हरीसिंह रावत।

भीम विधान सभा क्षेत्र में जलग्रहण अभियन्ताओं के रिक्त पद

35.श्री हरीसिंह रावत (भीम): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र भीम की पंचायत समिति भीम में जलग्रहण कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने कनिष्ठ अभियंताओं के पद सृजित हैं?

(2) क्या सृजित पदों के अनुसार कनिष्ठ अभियंता पदस्थापित हैं? यदि नहीं, तो क्यों? सरकार रिक्त पदों को कब तक भरने का विचार रखती है?

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्री कालूलाल गुर्जर): (1) पंचायत समिति भीम में जलग्रहण कार्यक्रम के अन्तर्गत एक कनिष्ड़ अभियंता का पद सृजित है?

(2) जी हां।

श्री हरीसिंह रावत (भीम): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सप्लीमेंट्री सवाल करना चाहता हूं कि पहले तो मेरे यहां तीन पद सृजित थे तो फिर एक का क्या कारण रहा, दो पद कैसे खत्म हो गये। और दूसरा, जल ग्रहण के अन्तर्गत जो कार्य हो रहे हैं उसके बारे में मैं थोड़ा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि जल ग्रहण के अन्तर्गत जो कार्य हो रहे हैं उनमें जो बीज सप्लाई किये जा रहे हैं उनमें बड़ी भारी अनियमितता पाई गई है। अनियमितता में यह है कि ऊपर थैली लगी हुई है सीड कारपोरेशन की और अन्दर में उसमें सब नकली बीज हैं। और बहुत सी थैलियां मिलीं, जिनमें नोट फोर सेल लिखा है, इसका क्या कारण रहा। क्या आपने ऐसे निर्देश दिये कि इस टाइम में बीज वितरित किये जाएं। दूसरा, जहां भी जो कार्य हो रहे हैं, वह कार्य बड़े सेंसेटिव हैं, जो विकास होना चाहिए, उस हिसाब से नहीं हो रहे हैं। तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन है जितने भी मेरे जल ग्रहण के जो कार्य हो रहे हैं, उनका पुन: निरीक्षण करवाया जाए ताकि सत्यता सामने आ सके। दूसरा, यह जो बीज मिले, नकली बीज, अभी हमारे बी.डी.ओ., भीम आफिस में करीब

5-6 सौ बेग, हमारे पास पड़े हैं, जिनको हमने सीज करवाया है। तो मेरा निवेदन है आपके माध्यम से कि इनकी भी वापस जांच कराई जाए कि यह बीज कहां से आये और कैसे वितरित हुए और किस के आदेश से यह हो रहे हैं। यह स्पष्ट हो जाए तो अच्छा काम चल सकेगा। दूसरा आपने बताया कि भीम में एक पद है, वहां एक भी जे.ईएन. नहीं है। अभी एक है, उसको भी हमने जबरदस्ती रोका हुआ है कि कम से कम एक तो हमारे यहां रखा हुआ है। तो मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि जिसको हमने रोका है, उसको स्थाई किया जाए। वह भी अण्डर-ट्रांसफर ही है। अभी एट-प्रजेण्ट जो आपने बोला है कि आपके वहां एक कनिष्ठ अभियंता है लेकिन वास्तव में वहां एक भी कनिष्ठ अभियंता नहीं है। तो मेरा निवेदन है कि उस कनिष्ठ अभियंता को स्थाई किया जाए ताकि हमारा काम सुचारू रूप से चले, धन्यवाद।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया कि पहले वहां पर तीन पद थे और अब एक कैसे रह गया। अध्यक्ष महोदय, यह हमारे जल ग्रहण की जो स्कीम चालू होती है और जल ग्रहण की जितनी संख्या होती है उसके अनुसार पदों का सृजन किया जाता है। पहले हमारे पास चूंकि यह दसवीं पंचवर्षीय योजना के वाटर-शेड हैं और इनमें हमारे यहां पर राष्ट्रीय जल ग्रहण योहना की प्रशासनिक राशि का 6 प्रतिशत खर्च करने का उस पंचवर्षीय योजना में प्रावधान था। इसलिये प्लान के तहत हमने आरोप पद सृजित किये थे। परन्तु अब 11वीं पंचवर्षीय योजना का अभी अलोकेशन हुआ नहीं है और वह जो पैसा हमको मिलता था, वह बंद हो गया, इस कारण से कुछ पद हमने कम किये और उन पदों को हमने ट्रांसफर करके राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना में लगा दिया और यह तय कर दिया कि जहां 16 से लेकर 32 जल ग्रहण योजनाएं हैं वहां पर एक जे.ईएन. और एक ए.ईएन. रहेगा। माननीय सदस्य के यहां 23 जल ग्रहण योजनाएं हैं इसलिये एक ही पद वहां पर रखा है और उस पद पर जे.ईएन. की नियुक्ति कर दी है, और वह वहां से, कोटड़ा से भी रिलीव 12 तारीख को हो गया है। कल तक का टाइम है, कल शायद वह ज्वाइन कर लेगा। इसलिये माननीय सदस्य की चिन्ता और समस्या का समाधान हो जाएगा।

जहां तक माननीय सदस्य ने दूसरा प्रश्न यह किया कि बीजों में अनियमितता पाई गई, अध्यक्ष महोदय, जो जल ग्रहण योजनाओं मं बीज सप्लाई किया जाता है, वह बीज निगम से खरीदा जाता है और जो हमारा बीज निगम जो राजस्थान सरकार का है, उसी मार्के से खरीदा जाता है, और माननीय सदस्य ने यह कहा कि बीज एक्सपायरी डेट का था तो जिन थैलियों में अनियमितता पाई गई है, तो मैं इस सारे मामले की जांच करवा लूंगा और उस जांच के दौरान यदि कोई दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही हम कर लेंगे। एक आपने और कहा है कि जल ग्रहण के कार्य ठीक नहीं हो रहे हैं तो उसकी भी मैं इसके साथ ही जांच करवा लूंगा और उसकी जांच के आधार पर जो भी कार्यवाही होगी, वह कर ली जाएगी।

श्री हरीसिंह रावत (भीम): अध्यक्ष महोदय, आप अभी बोले कि 23 वाटर शेड मेरे क्षेत्र में चल रहे हैं। मेरा क्षेत्र एक मगरा क्षेत्र है और मेरे करीबन 128 किलोमीटर की परिधि में मेरा विधान सभा क्षेत्र पड़ता है तो मेरा निवेदन है कि अध्यक्ष महोदय, कि कम से कम वहां दो कनिष्ठ अभियंता लगाये जाएं, जिससे हमारा काम सुचारू रूप से चल सके। कारण यह है कि लम्बी-लम्बी दूरी की वजह से एक कनिष्ठ अभियंता पूरा काम देख नहीं सकेगा, जिससे काम में शिथिलता बरती जाएगी। इसलिये मेरा निवेदन है कि दो कनिष्ठ अभियंता लगाए जाएंगे तो मैं सोचता हूं कि अच्छा रहेगा। दूसरा, जो बीज निगम के जो बीज हमने सीज कर रखे हैं, भीम और देवगढ़ में तो विशेषकर आप उसकी जांच कराएं तो सत्यता सामने आ जाएगी। ऊपर का पैकेट सीड कारपोरेशन का ही है लेकिन अन्दर क्या भरा हुआ है, वह सब बीज नकली हैं। इसलिये इनका थोड़ा स्पष्टीकरण हो जाएगा, तो अच्छा रहेगा।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, बीज निगम ने जो हमको दिया है, वही बीज हम काम में ले रहे हैं। अगर मान लीजिए अन्दर बीज खराब है, स्लिप उन्होंने गलत लगाई है तो हम बीज निगम को लिखकर उसकी कार्यवाही कराएंगे, जो भी दोषी होगा, उसके खिलाफ। अध्यक्ष महोदय, एक आपने कहा कि एक पद सृजित होना चाहिए और क्षेत्र बड़ा है। मेरा इसमें यह है कि जहां पर जो वाटर-शेड चलते हैं उसके जल ग्रहण विकास दल, डबल्यू.डी.टी. का गठन किया जाता है और सारे वाटर शेड का संचालन जल ग्रहण विकास दल के द्वारा कराया जाता है और उसके अन्दर 4 आदमियों की नियुक्ति होती है, एक वानिकी-पादप विज्ञान का आदमी, दूसरा पशु विज्ञान का आदमी तीसरा सिविल और कृषि इंजीनियरिंग और एक सामाजिक विज्ञान। तो इसमें इंजीनियर लग जाता है आलरेडी तो मान लो कहीं जे.ईएन. न भी पहुंचे तो भी वह विकास दल के अन्दर जे.ईएन. की पोस्ट है और जे.ईएन. को उस विकास दल में सम्मिलित किया जाता है, वह काम देखता है।

Vps-akt-21.09.2007-11.20-1c

लेकिन उसके बावजूद भी आपके यहां एक जे.ईएन. है और एक ए.ईएन. है तो ए.ईएन. और जे.ईएन. दो लग रहे हैं। मैं सोचता हूं कि हमारे नॉर्म्स के अनुसार प्रर्याप्त है।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, इसी में।

श्री अध्यक्षः हां, पूछिये1

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): केवल भीम का प्रश्न है।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जब आपने बांसवाड़ा का दौरा किया तब बीज निगम के संदर्भ में एक बहुत बड़ा घोटाला वहां की भारतीय जनता पार्टी और अन्य पदाधिकारियों ने मिलकर आपको घाटोल में एक ज्ञापन दिया था। मैं आपके माध्यम से

जानना चाहता हूं कि आपने वहां पर उस जांच के लिए किस अधिकारी को नियुक्त किया है और उस जांच का मतलब सब्जेक्ट आये कम से कम 3 महीने हो गये, उस संदर्भ में आपने अब तक क्या कार्यवाही की है?

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न तो केवल वहां आपके भीम में पदस्थापन का है। अब बीज निगम में या बीजों की कहीं गड़बड़ है और उसके बारे में अगर आप चाहते हैं तो उसकी जानकारी मैं करके आपको दे दूंगा। मैं इतना कह सकता हूं कि मैं वहां पर गया था। शिकायत मिली और मैंने हमारे वाटर शेड के डाइरेक्टर को लिखा कि इसमें जांच की जाए। अब जांच किस स्तर पर है चूंकि इससे रिलेटेड नहीं है इसलिए मैं अभी इसका जवाब नहीं दे सकता। माननीय सदस्य को मैं सारी बात अवगत करा दूंगा।

श्री सुरेश मीणा (करौली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि ... (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, बीज निगम के अन्दर जिस तरीके से प्राइवेट दुकानों से जो बीज खरीदा गया और जिला परिषद में एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है और वहां के सारे पदाधिकारियों ने इस बात की शिकायत दर्ज करवायी है और अब मंत्रीजी आप सी.ई.ओ. की जांच, सी.ई.ओ. की जांच आप एडिशनल सी.ई.ओ. से करवा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी तकलीफ तो यह है कि सी.ई.ओ. की जांच आप एडिशनल सी.ई.ओ. से करवा रहे हैं तौ मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या एडिशनल सी.ई.ओ. सी.ई.ओ. से बड़ा होता है क्या? मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि जब पूरे जिले के सारे पदाधिकारियों और सारे जन-प्रतिनिधियों का इस बात को लेकर रोष है और आपके सामने यह सारा ज्ञापन दिया है तो आपके तीन महीने निकल गये और अब तक इसकी जांच के लिए आपने क्या कार्यवाही की? आप इस प्रकरण की पूरी जांच करवाओ।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे को शिकायत मिली थी। मैंने जांच के लिए हमारे वाटर शेड के डाइरेक्टर, जो आई.ए.एस. हैं, सीनियर आई.ए.एस. हैं, उनको दी है। उन्होंने जांच करने के लिए किस अधिकारी को भेजा है, मैंने पहले ही बताया कि इसकी मुझे जानकारी नहीं है। माननीय सदस्य चाहेंगे तो मैं जानकारी करके बता दूंगा। चूंकि, इस प्रश्न से कोई रिलेटेड ही नहीं है। प्रश्न तो सिर्फ यह पूछा था कि भीम के अन्दर पद सृजित कितने हैं और कितने जे.ईएन. लग रहे हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अन्तर्गत अन्य जगह पर क्या गड़बड़ घोटाले हो रहे हैं, उसके बारे में तो प्रश्न नहीं है। फिर भी मैं माननीय सदस्य को निवेदन कर रहा हूं कि यदि एडिशनल सी.ई.ओ. से जांच के लिए यहां से पत्र गया होगा तो मैं उसकी आज ही बात करके किसी सीनियर अफसर से जांच करवा दूंगा और यहां से भेजकर करवा दूंगा। ... (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): हां, यहां से, अब आपके यहां से। ... (व्यवधान)

श्री सुरेश मीणा (करौली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि ... (व्यवधान)

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): वाटर शेड में घोटाला ही घोटाला है और है भी क्या? वाटर शेड में तो है ही घोटाला और है ही नहीं कुछ। ... (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): यह भीम का है, आप बैठ जाओ न। आपको क्या लेना-देना है? भीम से क्या लेना-देना है आपका?

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): वाटर शेड में है ही घोटाला। यह तो बताओ कि कोई एक काम भी होता है क्या? ऐसी कौन सी जगह है जहां पर वाटर शेड में घोटाला नहीं है। एक काम मुझे बता देना, सारा घोटाला है। ... (व्यवधान)

श्री सुरेश मीणा (करौली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि करौली पंचायत समिति में जहां पर चार जे.ईएन. काम करते थे लेकिन वहां पर सारे जे.ईएन्स. का ट्रांसफर कर दिया गया और वहां पर एक जे.ईएन. है। सारे काम-काज ठप पड़े हैं। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि हमारे यहां पंचायत समिति करौली में जल्दी से जल्दी जे.ईएन्स. की व्यवस्था करें। ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री बृजकिशोर शर्मा1

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): मंत्री महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में न तो वाटर शेड का जे.ईएन. है और न आपके पंचायती राज का जे.ईएन. है। भगवान भरोसे ही चल रहे हैं आप। ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री बृजकिशोर शर्मा।

श्री सुरेश मीणा (करौली): खड़े होकर कहो कि करौली में कर देंगे। ... (व्यवधान) नहीं, खड़े होकर कहो। ... (व्यवधान)

बाल गृहों के रख-रखाव एवं संचालन में व्याप्त अनियमितताएं

36. श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में सरकार द्वारा कितने किशोर गृह, शिशु गृह, पालना गृह चलाये जा रहे हैं? प्रत्येक पालना गृह में कितने बच्चे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) शिशु गृह में रहने वाले प्रत्येक बच्चे पर कितना खर्च स्वीकृत है व कितना खर्च किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि इन किशोर पालना गृहों से कुछ बच्चे भागे हैं? यदि हां, तो गत तीन वर्षों में किस-किस गृह से कितने बच्चे भागे?

(4) जिन पालना गृहों से बच्चे भागे हैं, उसके क्या कारण रहे? संबंधित अधिकारी व कर्मचारी के विरुद्ध इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई व नहीं तो क्यों?

समाज कल्याण मंत्री (श्री मदन दिलावर): (1) राज्य में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा 36 किशोर गृह एवं 1 शिशु गृह संचालित है। विभाग द्वारा कोई पालना गृह संचालित नहीं है।

(2) शिशु गृह में रहने वाले बच्चों के लिए राज्य सरकार द्वारा व्यय सीमा निर्धारित नहीं की हुई है तथा उन पर आवश्यकतानुसार राशि का व्यय किया जाता है। चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 में अगस्त, 2007 तक शिशु गृह हेतु 18,58,602 रुपयों का व्यय किया गया है1

(3) विभाग किशोर पालना गृहों का संचालन नहीं करता है।

(4) विभाग द्वारा पालना गृहों का संचालन नहीं किया जाता है।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग समाज कल्याण विभाग के अधीन नहीं आता? अगर यह आता है तो जो आपने जवाब दिया है आप उसका जवाब दे दें। दूसरा, क्या घाट की गुणी में जो किशोर गृह चल रहा है क्या समाज कल्याण विभाग से इस किशोर गृह का कोई सम्बन्ध है? क्या मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जिन 36 किशोर गृहों व 1 शिशु गृह का संचालन करता है, पिछले चार वर्षों में कितने शिशु किशोर पालना गृहों से भागे हैं, वर्षवाइज बताने का कष्ट करें और कितने पकड़े गये और बाकी जो बचे हैं उनका क्या हुआ और जो अधिकारी इस मामले में दोषी है, उनके लिए आपने क्या किया? चौथा, आपने जो 18 लाख ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: एक साथ मत पूछो, जवाब आने दो लेकिन मैं आपसे यह पूछ रही हूं कि ... (व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): ठीक है, साहब।

श्री अध्यक्ष: पालना गृह वाले कैसे भाग सकते हैं? यह तो बता दें मुझे आप दोनों ही। समझ में नहीं आती बात मेरे।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): भागे हैं, कोटा में भागे हैं। ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: पालना गृह में रहने वाले भाग सकते हैं क्या?

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): भागे हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप पता कर लो। आप पता कर लो।

श्री अध्यक्ष: शिशु गृह और पालना गृह को थोड़ा समझने की कोशिश करिये।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): हम शिशु गृह की बात कह रहे हैं, पालना गृह में तो इतना सा होता है, यह हम भी जानते हैं1 ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: पालना गृह वाला नहीं भाग सकता। शिशु गृह वाला भाग सकता है। पालना गृह वाला तो पालना में पडा रहता है। भागेगा कहां से? ... (व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): शिशु गृह में भागे हैं न। हमने प्रश्न पूछा है, किशोर गृह में। हमने क्वेश्चन किशोर गृह का पूछा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, किशोर गृह का क्वेश्चन पूछा है मैंने। ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह अलग बात है। ... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): भागते नहीं, उठाकर ले जाते हैं। नहीं, आप उठाकर ले गये थे न, माहिर आजाद साहब, वैसे उठाकर ले जाते हैं। ... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप भी वहीं से आये हुए हो। आप भी वहीं से आये हुए हो। पता कर लो, आप भी वहीं से आये हुए हो। ... (व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने किशोर गृह का प्रश्न पूछा है। ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: हां, शिशु गृह और पालना गृह अलग-अलग है। अलग-अलग होते हैं। अलग-अलग होते हैं। ... (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, हम कोई भी किशोर पालना गृह संचालित नहीं करते हैं, हम किशोर गृह संचालित करते हैं और जहां तक घाट की गुणी का सवाल है वह हमारा किशोर गृह है और वह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अन्तर्गत ही आता है। ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: हां-हां, बिलकुल वही है। पालना गृह वाला तो पालना में ही रहता है। हां, मैं तो समझ रही हूं पर माननीय सदस्य नहीं समझ रहे हैं। ... (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): आपने सैकिण्ड प्रश्न पूछा है, पालना गृह में ... (व्यवधान) मेरा निवेदन है कि ... (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): इसमें लिखा हुआ है ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: ठीक है।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ठीक तो क्या है, यह जवाब गलत दे रहे हैं। आप इनको रोकिये। ... (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): ... (व्यवधान) शिशु गृह से कितने बच्चे भागे हैं यह पूछ रहे हैं । ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं-नहीं। ... (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): अभी तक राजस्थान में शिशु गृह से कोई बच्चा नहीं भागा क्योंकि शिशु भाग नहीं सकता है वह बहुत छोटा होता है।

श्री अध्यक्ष: हां, नहीं भाग सकता। ... (व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): मैं किशोर गृह की बात कर रहा हूं, मंत्री महोदय। ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप इनको जवाब तो देने दो। ... (व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): माननीय मंत्री महोदय, मैं किशोर गृह की बात कर रहा हूं।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): यह सदन को गुमराह कर रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है किशोर गृह।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): आप सदन को गुमराह कर रहे हैं। किशोर गृह से 54 बच्चे भागे हैं उसमें से आपने कुल 30 बच्चों को पकड़ा है। 24 बच्चे अभी तक लापता हैं। उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मेहरबान, आपने तो पूछा कि पालना गृह से कितने भागे हैं?

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): किशोर गृह है। किशोर गृह लिखा है, मैडम।

श्री अध्यक्ष: आपने कहा है न। आपका चौथा देखिये।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, किशोर गृह लिखा हुआ है।

श्री अध्यक्ष: चौथा पार्ट देखिये।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): आप किशोर गृह का, शुरू में देखिये, किशोर गृह लिखा हुआ है। ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपका जो चौथा पार्ट है, चौथे पार्ट में आपने लिखा है, एक सैकण्ड, आपने लिखा है, जिन पालना गृहों से बच्चे भागे हैं, उसके क्या कारण रहे?

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): सप्लीमैंट्री में और कह देना।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): देवल साहब, यह किशोर गृह का लिखा है। आप इस क्वेश्चन पर ... (व्यवधान)

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): सप्लीमैंट्री में एड करवा लेंगे।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): आप तीसरा पढ़ लें। यह सदन को गुमराह कर रहे हैं। यह कह दें। ... (व्यवधान) बच्चे इन्होंने ईसाइयों को बेच दिये हैं। ... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): तीसरा पढ़ो, तीसरा।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): आकर यहां पर हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं ... (व्यवधान) कहते हैं ईसाइयों को बेच दिये हैं इसलिए इनका ... (व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): किशोर गृह लिखा हुआ है, माननीय अध्यक्ष महोदय, ... (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): लिखा हुआ है, पढ़िये आप इसको।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): लिखा हुआ है, आप पढ़िये।

श्री अध्यक्ष: देख रही हूं। ... (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): और लोग कहते हैं कि इन्होंने, ईसाइयों का झगड़ा इसीलिए हुआ कि वह बच्चे इन्होंने बेच दिये और उसके पैसे नहीं दिये इसलिए वे लड़ रहे हैं। ... (व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड-3 में किशोर गृह लिखा हुआ है। इन्होंने जो जवाब दिया है वह बिलकुल गलत है।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): इसलिए ईसाइयों के इनके झगड़ा हुआ। वे कहते हैं कि भगे थे। ... (व्यवधान) भगाने में मंत्री का हाथ था।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): किशोर गृह लिखा है। खंड-3 में किशोर गृह लिखा हुआ है क्लीयर-कट, खंड-3 आप पढ़िये। ... (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को पूरी जानकारी नहीं है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आपसे मांग रहे हैं न जब ही तो। ... (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): और इसलिए मैं दे रहा हूं न, आप लें न शांति से ... (व्यवधान) किशोर 14 साल तक का होता है।

श्री अध्यक्ष: किशोर पालना में रहता है क्या? पालना में रहता है क्या?

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, किशोर लिखा हुआ है, खंड-3 में ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: तो आप फिर किशोर की बात करिये। ... (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): यह खंड-3 में किशोर लिखा हुआ है। पालना गृह से कुछ बच्चे भागे हैं। किशोर भी तो लिखा हुआ है।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): लिखा हुआ है, माननीय अध्यक्ष महोदय, ... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप यह मान लीजिए कि सप्लीमेंट्री में पूछ रहे हैं। अच्छा, इसमें बाल पूछ लिया, इसमें शिशु पूछ लिया तो सप्लीमेंट्री में किशोर का पूछ रहे हैं, मंत्रीजी जवाब दें। ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप सदन को गुमराह करने की कोशिश नहीं करें। माननीय सदस्य। नगर से आने वाले माननीय सदस्य, सदन को गुमराह करने की कोशिश नहीं करें। आपने चौथा प्रश्न पूछा है, नहीं, चौथा प्रश्न पूछा है। जिन पालना गृह से बच्चे भागे हैं, उसके क्या कारण रहे? ... (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप तीसरा पढ़ो न। आप तीसरा पढ़ो। ... (व्यवधान)

spp/Akt/11.30/1d/21.9.2007

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्षजी, किशोर लिखा हुआ है खण्ड 3 में।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): किशोर एवं पालना गृह से कुछ बच्चे भागे हैं। किशोर भी तो लिखा हुआ है। (व्यवधान)..

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप यह मान लो सप्लीमेंट्री में पूछ रहे हैं। (व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप सदन को गुमराह करने की कोशिश ना करें। (व्यवधान)..

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): अच्छा इस सवाल में शिशु पूछ लिया तो सप्लीमेंट्री में किशोर का पूछ रहे हैं। मंत्री महोदय जवाब दें। (व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष: नगर से आने वाले माननीय सदस्य सदन को गुमराह करने की कोशिश ना करें। आपने चौथा प्रश्न पूछा है (व्यवधान)..

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आपकी व्यवस्था को चैलेंज करते हैं। इनकी आदत हो गयी है। (व्यवधान)..

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप तीसरा खण्ड पढ़ो न। आप तीसरा खण्ड पढ़िये। (व्यवधान)..

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): आप तीसरा खण्ड पढ़िये ना इसमें। माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जवाब नहीं देना चाहते। मंत्री इस सदन को गुमराह कर रहे हैं।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): गलत इन्फोर्मेशन दे रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, और आप इनको प्रोटक्शन दे रहे हैं। आपका फर्ज तो हमें प्रोटक्शन देना है। इसलिए आप इनको कहिये कि यह सही जवाब दें। नहीं दे सकते तो यह इस क्वेश्चन को डेफर करें और इसका बाद में जवाब दें। इनके पास कोई जवाब ही नहीं है, क्योंकि किशोर गृह के जो बच्चे भागे हैं, उनमें इनका हाथ है। आपका हाथ है उनको कोटा में भगाने का। (व्यवधान)..

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): इसमें नाम भी इनका बृज किशोर है कि *** है। (व्यवधान)..

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): इसाइयों से मिले हुए हैं, इसलिए इसाइयों का झगड़ा हुआ। (व्यवधान)..

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): इसमें प्रश्न ही ठीक तरह से नहीं पूछा गया। इसमें बृज किशोर है कि नवल किशोर है।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): यह प्रश्न का जवाब मंत्रीजी की जगह दे रहे हैं। (व्यवधान)..

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): इनको तमीज ही नहीं है बात करने की। महामहिम हैं, वह महामहिम।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): इनकी सोच इतनी ही है। इससे आगे यह जा ही नहीं सकते। (व्यवधान)..

*** नाम अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आपको तमीज ही नहीं है बात करने की। यह कोई सवाल हुआ क्या पूछने का? (व्यवधान).. महामहिम को इस तरह से बोलते हैं।(व्यवधान)..

श्री जितेन्द्र सिंह (अलवर): इसको कार्यवाही से एक्सपंज कराइये।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): अध्यक्ष महोदय, मान लो इसमें शिशु गृह का पूछा। सप्लीमेंट्री में किशोर का नहीं पूछ सकते क्या? कितने किशोर लापता हुए, मंत्रीजी को जवाब देना चाहिये। आप मंत्री को बचाने का काम कर रही हैं। किशोर गृह से बच्चे भाग रहे हैं। सुनियोजित षड्यन्त्र के तहत भाग रहे हैं। मिलीभगत से भाग रहे हैं। इनको बचाया जा रहा है। पकड़े भी गये और आप प्रोटेक्ट कर रही हैं मंत्री को। (व्यवधान)..

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): आप मंत्री को प्रोटेक्ट कर रही हैं। मंत्रीजी जवाब दीजिये।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): बजाय इनको जिम्मेदार ठहराने के, बचा रहे हैं। आप जवाब दीजिये। (व्यवधान)..

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): आप सुनना चाहें तो जवाब दे देता हूं।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): अपनी गलती स्वीकार करो बृजकिशोर जी।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): आप मुझे क्या बता रहे हो जोगेश्वर जी? आप क्या बता रहे हो, मंत्रीजी जवाब देंगे। मेरी कोई गलती नहीं है। (व्यवधान)..

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): समाज कल्याण मंत्री, मदन दिलावर इसके लिये जिम्मेदार हैं।(व्यवधान)..उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये। इन्होंने इसाइयों के बच्चों को बेचा है कोटा के अंदर। (व्यवधान)..

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): आप कार्यवाही कीजिये और मंत्री का हाथ है इसमें। (व्यवधान)..

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): यह गलत है। ठीक से पढ़ो आप। चश्मा बदलकर पढ़ो। तीन और चार गलत है।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): यह उस षड्यन्त्र में मिले हुए हैं और इसलिए ऐसा कर रहे हैं। कोटा में-बारां में जितने लड़के गये हैं वह सब मदन दिलावर साहब ने निकाले हैं। इसलिए इनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये। (व्यवधान)..

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): प्रतिपक्ष के नेता महोदय, खुद पढ़ लीजिये खण्ड तीन और चार गलत हैं।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): आप जो गलत बात है उसके लिये इनको संरक्षण दे रहे हैं। (व्यवधान)..

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): आपको जवाब सुनना है, यह जवाब दे रहे हैं न। (व्यवधान)..

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): माननीय सदस्य प्रश्न पूछ लेते हैं लेकिन इनका जवाब नहीं आता है। यह कपड़े फाड़ते थे।(व्यवधान)..

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): यह बृजकिशोर जी और महामहिम *** का नाम इन्होंने यहां लिया है, वह आप उचित मानते हैं क्या?

श्री अध्यक्ष: क्या कहा, मैंने सुना नहीं। (व्यवधान)..

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): कहा है ना। (व्यवधान)..

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): कहा है ना। रिकार्ड में है। यह *** का क्या संदर्भ आया।

श्री अध्यक्ष: मुझे बताओ क्या कहा?

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): राजसमंद से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है।(व्यवधान)..

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): इन्होंने कहा *** है या बृजकिशोर नाम है। यह बोला है न।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): महामहिम हैं गुजरात के।

श्री जितेन्द्र सिंह (अलवर): महामहिम का नाम इन्होंने लिया है।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): आपने प्रश्न उठाया। यदि उसका जवाब सुनना चाहते हो तो मैं उत्तर दे रहा हूं। (व्यवधान)..

श्री जितेन्द्र सिंह (अलवर): महामहिम का नाम इन्होंने मजाक में जिस तरीके से लिया है (व्यवधान)..

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): किशोर गृह से बच्चों को भगा-भगाकर (व्यवधान).. और जब पैसे नहीं दिये तो उस ईसाई के खिलाफ धरने दे दिये और (व्यवधान)..

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): जवाब तो प्रोपरली आये न। सुनेंगे क्या? आपको जवाब देना नहीं आता। प्रोपरली जवाब दीजिये सब सुनने को तैयार बैठे हैं। (व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष: खेतड़ी से आने वाले माननीय सदस्य आप बैठिये।(व्यवधान)..

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्षजी, मेरे प्रश्न का जवाब दिलवाइये।

श्री अध्यक्ष: नहीं, आपका नाम मैंने नहीं पुकारा है। मैं यह कहने के लिये खड़ी हुई हूं कि यदि आपने यह कहा है (व्यवधान)..

श्री जितेन्द्र सिंह (अलवर): यदि नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा है।

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): यदि नहीं, बिलकुल कहा है। (व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष: आप बात तो सुन लीजिये। यदि आपने यह कहा है कि यह बृजकिशोर है या *** तो बहुत गलत बात है आपका इस तरह से कहना। मैं इसको एक्सपंज करती हूं। आपको माफी मांगनी चाहिये। (व्यवधान).. नहीं खेद प्रकट करो आप। आप खड़े होकर खेद प्रकट करो। यह बहुत गलत बात है।

एक माननीय सदस्य: आप किसका नाम ले रहे हैं? (व्यवधान)..

*** नाम अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

*** नाम अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही है। मैंने नहीं कहा है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): ***। उन्होंने कहा है(व्यवधान). उन्होंने कहा है। (व्यवधान)..

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, इनसे माफी मंगवाइये। राजसमंद से आने वाले माननीय सदस्य, आप माफी मांगिये। आपने यह कहा है यह *** है या बृज किशोर।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप बिराजें तो मैं कहूं।

श्री अध्यक्ष: यदि आपने यह कहा है तो यह बहुत गलत बात है। हर वक्त आप खड़े होकर उटपटांग बात कहते हैं। यह बहुत गलत बात है। (व्यवधान)..

श्री जितेन्द्र सिंह (अलवर): माफी मांगे यह।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा महामहिम की तरफ ऐसा कहने का कतई मानस नहीं था। (व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष: वह महामहिम हैं, राज्यपाल हैं। सम्माननीय हैं।

श्री जितेन्द्र सिंह (अलवर): अध्यक्ष महोदय, उनसे माफी मंगवाइये।(व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष: आप खेद प्रकट करो। (व्यवधान)..

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माफी मांगे यह।(व्यवधान)..

अनेक माननीय सदस्य: माफी मंगवाइये इनसे। (व्यवधान)..

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): इसको कार्यवाही से एक्सपंज कराइये।(व्यवधान)..

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): यह तो रोज चाहे जिसको कहते रहते हैं। माफी मांगे। (व्यवधान)..

श्री जितेन्द्र सिंह (अलवर): आप इनसे माफी मंगवाइये।(व्यवधान)..

अनेक माननीय सदस्य: अध्यक्ष महोदय, इनसे माफी मंगवाइये। (व्यवधान)..

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): तैयार हूं बिराजो।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माफी मांगो।(व्यवधान)..

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह बृजकिशोर हैं या *** हैं और इसको कोई हम ऐसा इम्प्रेशन में ले रहे हैं तो मैं खेद प्रकट करता हूं। (व्यवधान)..

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): गलत गलत। आप क्यों बोल रहे हो? बैठिये आप।

अनेक माननीय सदस्य: गलत-गलत।

श्री अध्यक्ष: नहीं, वह करेंगे खेद प्रकट।

*** नाम/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, खेद प्रकट कर रहे हैं। यह माफी मांग रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, खेद प्रकट कर रहे हैं।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस पवित्र सदन में मेरे ईश्वर देवता की सौगन्ध खाकर कहता हूं। मेरा आशय महामहिम को ऐसा कहना नहीं था और फिर भी उसको माननीय सदस्य यह मानते हैं कि महामहिम की तरफ जबकि मेरी भावना (व्यवधान).. सुनो तो सही। मेरी भावना, मुझे मालूम नहीं है कि बृजकिशोर जी के पिताजी महामहिम हैं। मैं इस पवित्र सदन में ईश्वर की सौगन्ध खाकर कहता हूं कि मुझे इनके पिताजी या महामहिम का मुझे मालूम नहीं था और महामहिम के लिए मेरी भावना नहीं थी। यदि माननीय सदस्य महामहिम की तरफ इससे सम्बन्ध रखते हैं तो मैं खेद प्रकट करता हूं। धन्यवाद। (व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष: ठीक है। श्री दांताराम गुर्जर। कृपया शांत रहें।

मंडिया रोड औद्योगिक क्षेत्र पाली में विसर्जित उच्चिष्ठके ट्रीट हेतु कार्यरत मशीनें

37. श्री दाताराम गुर्जर (खेतड़ी) एवं श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि अगस्त, 2007 में पाली मंडिया रोड औद्योगिक क्षेत्र में स्थित किसी ऐसे उद्योग की मशीनें पर्यावरण विभाग ने सील की है जिसे सी.ई.टी.पी. पाली से उक्त उद्योग से विसर्जित उच्चिष्ठ की निर्धारित मात्रा को ट्रीट करने की स्वीकृति दी गई थी? यदि हां, तो कितनी मात्रा का उच्चिष्ठ अब उक्त उद्योग विसर्जित कर पाएगा?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त उद्योग की सभी ऐसी मशीनें सील कर दी गई थीं, जिनसे उच्चिष्ठ जल विसर्जित हो सकता था? यदि हां, तो जितनी मात्रा में विसर्जित उच्चिष्ठ को ट्रीट करने की सी.ई.टी.पी. ने स्वीकृति दी थी, उसका क्या औचित्य है?

(3) यदि सी.ई.टी.पी.पाली की क्षमता नहीं थी, तो इन उद्योगों को उनके द्वारा विसर्जित उच्चिष्ठ को ट्रीट करने की स्वीकृति क्यों दी गई? उन उद्योगों की क्षतिपूर्ति किसके द्वारा व किस प्रकार की जावेगी?

(4). क्या यह सही है कि पाली मंडिया रोड औद्योगिक क्षेत्र में वर्ष 2004 के पश्चात् लगी मशीनों को बंद करने का निर्देश दिया गया है? यदि हां, तो 2004 के पश्चात् (2007 में लिये गये निर्णय तिथि तक) इस प्रकार की मशीनें क्यों लगने दी गई? इसके लिये दोषी अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

पर्यावरण एवं खनिज मंत्री (श्री लक्ष्मीनारायण दवे): (1) राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल द्वारा माह अगस्त-सितम्बर, 2007 में पाली जिले के मंडिया रोड के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित 55 वस्त्र औद्योगिक इकाइयों की कतिपय मशीनों को सील किया गया है। यह कार्यवाही किसी उद्योग विशेष के विरूद्ध नहीं की गई है, वरन् सामूहिक रूप से की गई है। इस कार्यवाही का मुख्य उद्देश्य मंडिया रोड, औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित संयुक्त

उपचार संयंत्रों में क्षमता से अधिक आ रहे उच्छिष्ठ की मात्र को नियन्त्रित करना है ताकि अनुपचारित उच्छिष्ठ को नदी में वाहित होने से रोका जा सकें। सील किये जाने की कार्यवाही के पश्चात् मंडिया रोड, औद्योगिक क्षेत्र के वस्त्र उद्योगों को सामूहिक रूप से उतनी मात्रा का उच्छिष्ठ निस्त्रावित करने की छूट होगी, जिसका कि उपचार स्थापित संयुक्त उपचार संयंत्रों द्वारा किया जाना सम्भव हो सकें। मंडिया रोड, औद्योगिक क्षेत्र स्थित जल प्रदूषक प्रत्येक उद्योग कितनी मात्रा में उच्छिष्ठ का निस्त्राव कर सकता है, यह निर्णय सी.ई.टी.पी.ट्रस्ट द्वारा ही किया जाना है।

Msr/usc/1140/1e/21092007(1)

(2) प्रश्न के इस भाग में इकाई विशेष के बारे में जानकारी चाही गयी है जिसका नाम प्रश्न में नहीं दिया गया है। यह सही है कि कुछ उद्योगों की सभी जल प्रदूषणकारी प्रसंस्करण मशीनें उपरोक्त कार्यवाही के अन्तर्गत सील की गई हैं। राज्य मण्डल द्वारा सीलिंग की कार्यवाही औद्योगिक क्षेत्र, सी.ई.टी.पी. ट्रस्ट एवं जिला प्रशासन के प्रतिनिधियों के साथ हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में उच्छिष्ठ की मात्रा को नियंत्रित करने की आवश्यकता एवं उनकी सहमति से यह निर्णय लिया गया कि पाली के औद्योगिक क्षेत्रों में माह अप्रैल, 2004 के पश्चात् स्थापित जल प्रदूषणकारी प्रसंस्करण मशीनों को सील अथवा बन्द करवा दिया जायेगा।

(3) सी.ई.टी.पी. ट्रस्ट के समक्ष उद्योगों द्वारा निस्त्रावित उच्छिष्ठ की वास्तविक मात्रा की घोषणा सही नहीं पायी गयी है। सी.ई.टी.पी. ट्रस्ट ने यह सूचित किया है कि संयुक्त उपचार संयंत्रों में इन संयंत्रों की उपचार क्षमता से काफी अधिक उच्छिष्ठ उपचार हेतु प्राप्त हो रहा है, इससे यह स्वतः ही स्पष्ट है कि वस्त्र उद्योग उनके द्वारा घोषित उच्छिष्ठ की मात्रा से अधिक उच्छिष्ठ को निस्त्रावित कर रहे हैं जो कि उनके द्वारा की गयी घोषणा का उल्लंघन है। संयुक्त उपचार संयंत्रों पर उनकी क्षमता से अधिक उच्छिष्ठ की आवक के कारण अनुपचारित उच्छिष्ठ नदी में वाहित हो रहा है जिससे पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है एवं पर्यावरण को हो रही क्षति की पूर्ति इन उद्योगों से ही अपेक्षित है एवं इस कारण से उद्योगों को किसी तरह की क्षति पूर्ति नहीं की जानी है।

(4) जी हां। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 09.3.2004 की अनुपालना में राज्य मण्डल द्वारा मण्डिया रोड स्थित वस्त्र उद्योगों का सर्वे किया गया था। इस सर्वे के दौरान यह भी पाया गया कि मण्डिया रोड स्थित वस्त्र उद्योगों से जनित उच्छिष्ठ का उपचार संयुक्त उपचार संयत्र द्वारा किया जाना संभव नहीं हो रहा था, जिसका एक कारण इन उपचार संयंत्रों में क्षमता से अधिक औद्योगिक उच्छिष्ठ का आवक होना भी था। इस कारण से औद्योगिक क्षेत्र की नई इकाइयों अथवा स्थापित इकाइयों के विस्तार से जनित उच्छिष्ठ को उपचार किया जाना सम्भव नहीं था। अतः मण्डिया रोड औद्योगिक क्षेत्र में वर्ष 2004 के

पश्चात् नये जल प्रदूषक एवं जल प्रदूषणकारी प्रसंस्करण मशीनों की स्थापना हेतु जल अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत कोई स्थापना हेतु सम्मति जारी नहीं की गई है।

वर्ष 2004 में किये गये सर्वे के दौरान पायी गयी खामियों के आधार पर राज्य मण्डल द्वारा निम्न कार्यवाही की गई :-

(1) तीनों उपचार संयंत्रों के उन्नयन का कार्य माह दिसम्बर, 2005 से आरम्भ कर मार्च, 2007 में पूर्ण करवाया गया। वर्तमान में तीनों उपचार संयंत्र कार्यरत है।

(2) गैर औद्योगिक क्षेत्र के 246 लघु वस्त्र उद्योगों को बन्द करने के आदेश दिये गये किन्तु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उद्योगों के विरुद्ध जारी आदेशों को स्थगित किया गया है।

(3) गैर औद्योगिक क्षेत्र के 27 वस्त्र उद्योगों से पेयजल के दूष्जित होने की संभावना के कारण इनके जल एवं विद्युत सम्बन्ध विच्छेद करने के आदेश दिये गये किन्तु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उद्योगों के विरुद्ध जारी आदेशों को स्थगित किया गया है।

(4) औद्योगिक क्षेत्र में स्थित 63 वस्त्र उद्योग जो कच्चे नाले से पुनायता रोड स्थित संयुक्त उपचार संयंत्र से जुड़े थे, को बन्द करने के आदेश किन्तु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उद्योगों के विरुद्ध जारी आदेशों को स्थगित किया गया है।

(5) मण्डिया रोड औद्योगिक क्षेत्र में स्थित 272 लघु वस्त्र उद्योगों को प्राथमिक उपचार व्यवस्था भी स्थापित करने के लिए नोटिस द्वारा बाध्य किया गया।

(6) औद्योगिक क्षेत्रों में चिह्नित तीन लघु वस्त्र कार्बोनाईजिंग प्रोसेस को बन्द करवाया गया ताकि ऐसिडिक उच्छिष्ठ के निस्त्राव को रोका जा सके।

(7) महाराजा श्री उम्मेद मिल को उनके स्तर पर उच्छिष्ठ उपचार संयंत्र के निर्माण हेतु बाध्य किया।

(8) औद्योगिक क्षेत्र प्रथम एवं द्वितीय चरण में स्थित उद्योगों से निस्त्रावित उच्छिष्ठ को पुनायता रोड स्थित संयुक्त उपचार संयंत्र तक लाने हेतु पक्के नाले का निर्माण।

(9) नये औद्योगिक क्षेत्र के विकास काय कार्य।

उल्लेखनीय है कि उपचार संयंत्रों के उन्नयन का कार्य मार्च, 2007 में पूर्ण होने के पश्चात् इन संयंत्रों के विधिवत कार्यरत हो जाने के बाद भी यह पाया गया कि वस्त्र उद्योगों से निस्त्रावित उच्छिष्ठ की मात्रा इन संयंत्रों की क्षमता से काफी अधिक है एवं अनुपचारित उच्छिष्ठ का एक भाग सीधे नदी में प्रवाहित होता है। प्रत्येक उद्योग द्वारा उससे निस्त्रावित उच्छिष्ठ की मात्रा का अलग-अलग आंकलन किये जाने की व्यवस्था नहीं है। माह जुलाई, 2007 में औद्योगिक क्षेत्र सी.ई.टी.पी. ट्रस्ट एवं जिला प्रशासन के प्रतिनिधियों के साथ हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि संयुक्त उपचार संयंत्रों में क्षमता से अधिक आ रहे उच्छिष्ठ की मात्रा को कम करने हेतु पूर्व में माह अप्रे, 2004 में करवाये गये सर्वे के पश्चात् स्थापित सभी जल प्रदूषणकारी प्रसंस्करण मशीनों को बन्द करवाया जावे। इस निर्णय की अनुपालना में मण्डिया रोड औद्योगिक क्षेत्र के 55 उद्योगों में

जल प्रदूषणकारी प्रसंस्करण मशीनों को हटाने अथवा सील करने की कार्यवाही राज्य मण्डल द्वारा की गई है।

उपरोक्त पृष्ठभूमि में राज्य मण्डल के अधिकारियों द्वारा की गयी कार्यवाही को ध्यान में रखते हुए राज्य मण्डल के किसी अधिकारी को दोषी ठहराया जाना न्यायोचित नहीं है। ...(व्यवधान)...

श्री दाताराम गुर्जर (खेतड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रश्न पूछना चाहूंगा इसमें कि क्या आपने प्रत्येक फैक्टरी से प्रदूषित कितना पानी निकलता है, इसकी जांच करवायी है? यदि नहीं, तो सी.ई.टी.पी. द्वारा स्वीकृत मात्रा का क्या औचित्य रह गया?

दूसरा, यह आपने स्वीकार किया है कि कुछ उद्योगों की सभी जल प्रदूषणकारी प्रसंस्करण मशीनें उपरोक्त कार्यवाही के अन्तर्गत सील की गयी हैं जबकि उन उद्योगों को भी सी.ई.टी.पी. ने निश्चित मात्रा में उच्छिष्ठ निस्त्राव की स्वीकृति दी थी तो यह भेदभाव क्यों है?

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी एक पूछना चाहता हूं।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): इनका उत्तर आने दें, आप बाद में पूछ लेना।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहूंगा कि लघु वस्त्र उद्योग में जितनी यूनिट जो पानी डिस्चार्ज करते हैं, इन्फ्लेंट वाटर जो करते हैं उनका सामूहिक रूप से सी.ई.टी.पी. में डिस्चार्ज के लिए आता है। अगर माननीय सदस्य के वहां इंडीविजुअल ट्रीटमेंट प्लाण्ट अगर लगा हुआ है तो निश्चित रूप से उस हिसाब से कार्यवाही की जा सकती है।

बाकी यह जो व्यवस्था है, यह सामूहिक उद्योगों द्वारा, जिनकी लघु वस्त्र उद्योग जिनकी वित्तीय और प्रदूषण नियंत्रण सम्बन्धी तकनीकी संसाधनों के अभाव के कारण इन्होंने ज्वाइंट ट्रीटमेंट प्लाण्ट, कॉमन ट्रीटमेंट प्लाण्ट की व्यवस्था की गयी है जिसमें सी.ई.टी.पी. ट्रस्ट इसको आर्गेनाइज करता है और इनमें तमाम जितने यूनिट है इनका तमाम का पानी उस ट्रीटमेंट प्लाण्ट में आ कर फिर ट्रीट किया जाता है। इंडीविजुअल कैपेसिटी में अगर ट्रीटमेंट प्लाण्ट है और उसके बारे में आप अगर चर्चा करना चाहें तो तो ठीक है अन्यथा इन तमाम यूनिट का जो पानी सी.ई.टी.पी. में जो जायेगा उसके नोन-इन्फ्लेंट का जो पानी है उसको ट्रीट करने का आधार सी.ई.टी.पी. ट्रस्ट के द्वारा आर्गेनाइज किया जाता है।

श्री दाताराम गुर्जर (खेतड़ी): दूसरे प्रश्न का नहीं आया न।

श्री अध्यक्ष: हां जी, आपका भी है।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जवाब दिया है कि तीनों उपचार संयंत्रों का उन्नयन का कार्य माह दिसम्बर, 2005 से आरम्भ कर के मार्च, 2007 तक पूर्ण करवाया गया। मैं यह पूछना चाहता हूं कि आपने कितना एम.एल.डी. कार्य क्षमता इसकी बढ़ायी? इसका 8 करोड़ 93 लाख रुपया खर्च कर के इसकी कैपेसिटी कितना एम.एल.डी. बढ़ायी? यह जवाब दे दें।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मैं भी पूछ लूं?

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से मैं यह पूछना चाहता हूं ...

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): पहले मेरे प्रश्न का आने दो, मूल प्रश्नकर्ता हूं मैं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): सवाल पूछ लिया न आपने तो।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आप बाद में पूछ लेना, मेरे प्रश्न का उत्तर आने दें।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): साथ ही जवाब दे देंगे वो।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): नहीं, नहीं साथ में नहीं दे सकेंगे वो।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि यह बांडी नदी में जो उद्योगों का प्रदूषित जल जाता है ...(व्यवधान)...

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले मूल प्रश्नकर्ता का आने दो।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): इस प्रदूषित जल पीने से कितनी गायों की मृत्यु हुई और इस प्रदूषित जल से कितने काश्तकारों की फसल को नुकसान हो रहा है? यह 200, 400 या 40 औद्योगिक इकाइयों का सवाल नहीं है, लाखों बीघा जमीन किसानों की है, प्रदूषित जल से फसल बरबाद होती है और आपके ट्रीटमेंट प्लाण्ट के बिना यह फैक्ट्रियां चल रही हैं, किसान वहां का बरबाद हो रहा है। इसी महीने की दो तारीख को मैं भी पाली गया था, आपको भी याद होगा। वहां मेरे से भी लोग, किसान मिले थे कि इस प्रदूषित जल से किसानों को नुकसान हो रहा है। ...(व्यवधान)...

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, भाषण दे रहे हैं, मेरे प्रश्न का उत्तर तो आने दो।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): कई सैंकड़ों गांव प्रदूषित जल से, इस बांडी नदी से हो रहे हैं। ...(व्यवधान)...

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न को यह हल्का कर रहे हैं। ...(व्यवधान)...

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): इन किसानों की फसल को बचाने के लिए, उन गायों को, जो प्रदूषित जल से मरी हैं, उनको बचाने के लिए आप क्या कर रहे हो? ...(व्यवधान)...

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): ऐसी हालत है ...(व्यवधान)... किसानों की फसलें बरबाद हो रही हैं। ...(व्यवधान)...

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): यह सवाल पूंजीपतियों, फैक्ट्रियों और कारखानों को बचाने का सवाल नहीं है इससे किसानों को बचाने का सवाल है। ...(व्यवधान)...

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): माननीय मंत्री महोदय, आपने इस सदन में ...(व्यवधान)...

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): किसानों की फसलें बरबाद हो रही हैं इससे ...(व्यवधान)...

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): जिनके खेत खराब हुए हैं उनको मुआवजा दिया जायेगा ...(व्यवधान)... एक तरफ काश्तकार बरबाद हो रहा है और दूसरी तरफ उद्योगों को बचाया जा रहा है ...(व्यवधान)...

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): लाखों बीघा भूमि बेकार हो गयी इस प्रदूषित जल से और आपके सैंकड़ों गायें मर गयीं, लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है ...(व्यवधान)...

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): आप इन उद्योगों को बंद करिये। ...(व्यवधान)...

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): और आप औद्योगिक इकाइयों को बचाने के अन्दर लगे हुए हैं। किसानों के हितों का सवाल है, हजारों किसानों का सवाल हो रहा है ...(व्यवधान)...

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): यह हालत कालाडेरा में है, यही हालत पिलानी में है ...(व्यवधान)...

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): जो भी उद्योग ट्रीटमेंट प्लाण्ट नहीं लगा रहा है और प्रदूषित जल को प्रवाहित कर रहा है, आपको उसको रोकने के लिए सख्त कदम उठाना चाहिए। ...(व्यवधान)...

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): आप उन उद्योगों को बंद कराओ, मंत्री जी। ...(व्यवधान)... गरीब काश्तकार की लाखों बीघा जमीन खराब हो रही है, उनको मुआवजा दिलाओ। ...(व्यवधान)... आप उस जहरीले पानी को पी नहीं सकते। ...(व्यवधान)...

Ars/usc/1150/21092007/1f/1

आप काश्तकारों के वकील हो या उद्योगपतियों के वकील हो ? आप उद्योगपतियों की वकालत कर रहे हो ...(व्यवधान) आप माननीय मंत्री जी, काश्तकारों के हित की बात करिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मेरा सवाल है।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): और आपने यह बयान दिया था, विधान सभा में यह आश्वासन दिया था कि आप उनको मुआवजा देंगे, आपने कितना मुआवजा दिया यह भी बताएं?

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): मंत्री जी आपको पता है कालाडेरा में भी यही हालत है और जहां जहां भी फैक्ट्रियां चल रही हैं आप ट्रीटमैंट प्लाण्ट लगाने से पहले फैक्ट्री को अनुमति नहीं दें।

श्री अध्यक्ष: पहले प्रश्नकर्ता हैं।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने अपग्रेडेशन के बारे में ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): बाद में पूछ लेना, पहले मेरा सवाल है।

श्री महीपाल सिंह यादव (बानसूर): माननीय अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष: आप क्यों खड़े हो गये जब मंत्री जी खड़े हैं, आप क्यों खड़े हो गये।

श्री महीपाल सिंह यादव (बानसूर): आपका माइक बंद है।

श्री अध्यक्ष: उनकी हाइट ज्यादा है और माइक नीचा और और थोड़ी आवाज भी धीमी है इसलिए..

श्री महीपाल सिंह यादव (बानसूर): नहीं आपका भी अध्यक्ष जी, बंद था।

श्री रमेश खींची (कठूमर): माननीय अध्यक्ष जी, यह पूरे राजस्थान के किसानों का सवाल है। आप थोड़ा इसको सीरियस लें।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मेरे प्रश्न का उत्तर तो आने दें, किसानों की बात कर रहे हो ...(व्यवधान) किसानों की बात, मेरे प्रश्न का उत्तर तो आने दो ...(व्यवधान)

श्री रमेश खींची (कठूमर): आपकी तरफदारी कर रहा हूं।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): तरफदारी बाद में करना आप पहले मेरे प्रश्न का उत्तर आने दें ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं, जो प्रश्नकर्ता हैं उसका जवाब आएगा पहले, पहले प्रश्नकर्ता का जवाब आएगा।

श्री रमेश खींची (कठूमर): आपकी तरफदारी कर रहा हूं मदन जी ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आज किसानों का प्रतिनिधित्व करते हो माननीय अध्यक्ष जी, आप आसन पर बैठी हो। ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप एक साथ चार क्यों खड़े हो?

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): नहीं, हम यह कह रहे हैं आप किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहे हो और आपकी अध्यक्षता के अन्दर किसानों का नुकसान हो रहा है। किसानों की हजारों बीघा जमीन बरबाद हो गयी।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये, पहले जवाब उनका आएगा।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): पशु मर रहे हैं, गायें मर रही हैं ...(व्यवधान) आप उद्योग धंधों को, फैक्ट्रियों को लगाने में लग रहे हो ...(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): यह बात नहीं हुई ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप किसानों के हितैषी हो, किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं ।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): जितने भी उद्योग हैं उनको बंद कर दिया जाए ...(व्यवधान) पाली को इन उद्योगों की कोई जरुरत नहीं है ...(व्यवधान) उद्योगों की पैरवी कर रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): 000

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): 000

---

000 अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना): 000

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): 000

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): 000

श्री अध्यक्ष: आपका नाम किसने पुकारा जो आप खड़े होकर बोल रहे हो? मदन राठौड़।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, मैंने सीधा सवाल किया कि आपने 8 करोड़ 93 लाख रुपया खर्च करके कितने एम एल डी क्षमता बढ़ाई, यह जवाब दे दें।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कैपेसिटी बढ़ाने की बात की है यह जो आठ करोड़ का इन्वेस्टमैंट हुआ है, इसमें अपग्रेडेशन की बात है। इसमें तकनीकी कार्य क्षमता और उसकी उपचारक की गुणवत्ता इसमें वृद्धि करने की बात है।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, गलत बात है। इन्होंने 23 मार्च, 2007 को इसी सदन में यह घोषणा की थी कि 22 हजार से मैं 28 हजार बढ़ाऊंगा। अध्यक्ष महोदय ने फिर पूछा कि 31 मार्च बोल रहे हो, कर दोगे क्या, फिर इन्होंने कहा हां, कर दूंगा। फिर तीसरी बार पूछा, चौथी बार पूछा, यह प्रोसीडिंग्स हैं और 31 मार्च तक इन्होंने 22 हजार से 28 हजार एम एल डी नहीं बढ़ाई। यह सदन को गुमराह किया है। क्यों किया है इसका जवाब दो। यह मैं सदन के पटल पर रखना चाहता हूं।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष: पहले उनके प्रश्न का जवाब आने दीजिए, नहीं, आप बैठिये, जवाब आने दीजिए।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सुमेरपुर से आने वाले सदस्य, मैं बात कर रहा हूं अपग्रेडेशन की, उसकी गुणवत्ता में परिवर्तन के लिए, उसकी केपेसिटी बढ़ाने के लिए यह राशि स्वीकृत नहीं हुई। इसके लिए एक तो इक्विलाइजेशन टैंक बनाया गया, कार्य क्षमता व गुणवत्ता बढ़ाने की कार्यवाही की गयी। दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें स्थिर अवेचक उपचार संयंत्रों को लगाया गया है और इनलैट प्लेट सेपरेटर लगाये गये हैं, इनलेट पर मेकेनिकल स्टील लगाया गया है और डी जी सैटों की व्यवस्था की गयी है।

यह जो माननीय सदस्य कह रहे हैं कैपेसिटी बढ़ाने का, कैपेसिटी बढ़ाने का नहीं है। इसमें गुणवत्ता....

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आपने स्पष्ट कहा है कि 22 हजार से 28 हजार करूंगा। यह मैंने सदन में प्रोसीडिंग्स रखी हैं।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): यह जो माननीय सदस्य कह रहे हैं गलत है।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): गलत नहीं है। यह आपने कहा है हाउस में, मैंने अध्यक्ष महोदय को दिया है।

श्री अध्यक्ष: आप सुनने दीजिए मुझे।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): मैंने यह कहा था कि तीन ट्रीटमैंट प्लांट हैं उनकी कैपेसिटी यह है और जो पानी निस्त्रावित होकर आता है ट्रीटमैंट प्लाण्ट में वह ट्रीटमैंट प्लाण्ट की कैपेसिटी से अधिक है।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य दाताराम जी ने जो प्रश्न किया था उससे कुल उच्छिष्ट मात्रा जो सी ई पी टी तक पहुंचती है उसके आंकलन के लिए इंडीविज्युअल किसी यूनिट का आंकलन नहीं किया जा सकता पर संयुक्त रूप से हमने वहां नी नोच और वी नोच वैलोसिटी पद्धति को अडाप्ट किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी वर्तमान समय में संयंत्र की क्षमता है 13.6 एम एल डी प्रथम की और द्वितीय मण्डिया रोड की तृतीय की क्षमता है 9.08 एम एल डी। यह फेज फर्स्ट और सैकिण्ड की है। वर्तमान में उच्छिष्ट की अनुमानित आवक जो है 17 और 18 एम एल डी है और तृतीय फेज की जो है वह 16 और 17 एम एल डी है।

तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, ट्रीटमैंट प्लाण्ट की जो क्षमता है और उस क्षमता से भी जो अधिक ट्रीट करके पानी यहां पर निस्त्रावित करते हैं उसके बारे में सी ई पी टी ....

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, आप देख लें, इन्होंने स्पष्ट कहा है 22 हजार से 28 हजार करूंगा, 31 मार्च तक करूंगा ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय मंत्री जी, किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं ...(व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): मंत्री महोदय, आप तो यह बताने की कृपा करें ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि मंत्री महोदय ने जो कमेटी गठित की थी और उस कमेटी ने निर्णय लिया था उसके ऊपर मंत्री जी आपने क्या कार्यवाही की है? वह बताने की कृपा करें ...(व्यवधान) मंत्री महोदय, किसानों के साथ आपने संयुक्त बैठक रखी थी, उस बैठक में जो निर्णय हुआ ...(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): काश्तकारों की फसल नष्ट हो रही है ...(व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): उस निर्णय की क्या पालना हो रही है? मंत्री महोदय, यह बताने की कृपा करें। जो अनआथोराइज औद्योगिक इकाईयां चल रही हैं उनका जो पानी ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप इतने माननीय सदस्य बोलने लग जायेंगे तो वह कुछ भी जवाब नहीं दे पायेंगे ...(व्यवधान) आप क्यों खड़े हैं यहां पर, आप किसलिए खड़े हैं, आपका नाम मैने नहीं पुकार है ...(व्यवधान) अंकित नहीं हो, अंकित नहीं हो। माननीय मंत्री जी। ...(व्यवधान) आप प्लीज स्थान ग्रहण कर लें। रायपुर से आने वाले माननीय सदस्य, मैं देख रही हूं आप आसन की बहुत अवहेलना कर रहे हैं ...(व्यवधान) माननीय मंत्री जी आपने पिछले सत्र में जवाब दिया था और आसन ने आपसे पूछा था कि आप इसे कब तक कम्पलीट करा देंगे, तो

आपने कहा था 31 मार्च तक कम्पलीट करा देंगे। फिर मैंने दुबारा पूछा कि 31 तारीख बता रहे हैं, उसके बाद भी विधान सभा चलेगी तो 31 को आप श्योर तो हो लीजिए कि 31 को हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): 31 मार्च को कम्पलीट हो चुका माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): कैपेसिटी नहीं बढ़ाई।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): कैपेसिटी की बात ही नहीं है। अब आप इस चीज को समझते नहीं। अपग्रेडेशन में कैपेसिटी की कोई व्यवस्था नहीं थी। अपग्रेडेशन में कैपेसिटी की कोई व्यवस्था नहीं थी ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मैंने हाईलाइट करके ...(व्यवधान) 22 हजार से 28 हजार की कैपेसिटी बोली है। इन्होंने हाउस में बोला है ...(व्यवधान)

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, ट्रीटमैंट प्लाण्ट के अपग्रेडेशन की कार्यवाही कम्पलीट हो चुकी थी ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं, आप मेरी बात सुनिये पहले, आप सुनिये, आपने यह भी कहा है और जितनी इसकी कैपेसिटी है वह कैपेसिटी भी बढ़ेगी, यह भी आपने कहा है।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हमने प्रस्ताव कर रखा है। चौथे ट्रीटमैंट प्लाण्ट के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय, बाकी यह जो भारत सरकार की राशि है तीन ट्रीटमैंट प्लाण्ट की बात है।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): 8 करोड़ 93 लाख रुपया खर्च किया है आपने इसकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए ...(व्यवधान) चौथा अलग है उसका दस करोड़ अलग है।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): इसमें अपग्रेडेशन का है, गुणवत्ता का है। कैपेसिटी बढ़ाने का कोई प्रोवीजन नहीं है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): ट्रीटमैंट प्लाण्ट ही धोखा है, यह किसानों के साथ धोखा है। ...(व्यवधान)

vns/usc/12.00/1g/21.9.07

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): यह ट्रीटमेंट प्लान्ट बहुत बड़ा धोखा है। इस ट्रीटमेंट प्लान्ट को बंद करवा दीजिये और इन फैक्ट्रियों को कृपा करके काश्तकारों के हित में पानी मत बहाइये। ..(व्यवधान) वह बरबाद हो रहे हैं किसान। एक लाख लोग बरबाद हो रहे हैं ..(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): किसानों की लाखों बीघा जमीन नष्ट हो रही है। गाय मर रही हैं और आप कह रहे हैं फैक्ट्रियों को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। माननीय मंत्रीजी, मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देते आप ..(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): विधान सभा में प्रश्न दे दिया ..(व्यवधान)

श्री अध्यक्षः प्रश्नकाल समाप्त हुआ। अब आप स्थान ग्रहण करें। वह जवाब दे रहे हैं। स्थान ग्रहण करें ..(व्यवधान)

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): मेरे विधान सभा क्षेत्र से संबंधित प्रश्न है एक जानकारी यदि ..(व्यवधान) यह मेरे विधान सभा क्षेत्र से जुड़ा हुआ प्रश्न है। यह मेरे क्षेत्र में है इसलिये मुझे अनुमति दीजिये ..(व्यवधान)

श्री अध्यक्षः यदि इतने माननीय सदस्य बोलेंगे तो मैं भी नहीं सुन पाऊंगी, सदन के और माननीय सदस्य भी नहीं सुन पायेंगे। लेकिन मैं मंत्रीजी, मैं सभी मंत्रियों को एक बात निवेदन करना चाह रही हूं आप यहां पर एश्योरेंस तो दे देते हैं और एश्योरेंस देने के बाद वह चीजें पूरी नहीं होती हैं मेहरबानी करके एश्योरेंस नहीं दीजिये जो पूरी नहीं हो ..(व्यवधान)

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात नहीं समझ पा रही हैं। एश्योरेंस वाली बात आप नहीं समझ पा रही हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अपग्रेडेशन वाला मामला है ..(व्यवधान)

श्री अध्यक्षः एक मिनट उनकी बात सुनें ..(व्यवधान)

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): गुणवत्ता का मामला है। चौथा ट्रीटमेंट प्लान्ट लगाने के लिए हमने प्रस्ताव कर रखा है उसके कारण अपग्रेडेशन होगा और कैपेसिटी बढ़ेगी। इसके कारण नहीं बढ़ेगी ..(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप उसे निरस्त करो मत बनाओ उसको ..(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): किसानों के हित में बंद करो फैक्ट्रियों को ..(व्यवधान)

श्री अध्यक्षः आप उनको सुनना क्यों नहीं चाहते हैं। आप सुन तो लो। आप मंत्री को सुन लो ..(व्यवधान)

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): तो किसानों की बात की है माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि डेढ़ वर्ष पश्चात् ..(व्यवधान)

श्री अध्यक्षः रायपुर से आने वाले माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। सुन लीजिए आप ..(व्यवधान)

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, हाई कोर्ट ने डायरेक्शन जो दिये थे उसके आधार पर 2004 के बाद जो नोन पॉल्यूटिंग वाटर से, जल से संबंधित जो यूनिट थीं उसके सम्बन्ध में हमने टैक्सटाइल वालों और किसानों से राज्य सरकार के स्तर पर मीटिंग की और मीटिंग में सर्व सम्मति से निर्णय लिया कि 2004 के बाद ..(व्यवधान)

श्री अध्यक्षः तो अब तक क्यों नहीं किया ? अभी तक काटा गया ? आपने वादा किया था। लाइट, पानी काट लिया क्या 63 यूनिट्स का ? 63 यूनिट जो चल रही हैं और जिनमें कोई ट्रीटमेंट प्लान्ट नहीं है लाइट, पानी काटा आपने क्या ? आपने कहा है। कहा है ..(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): दो और तीन का क्लियरकट कहा है। यह प्लान्ट नम्बर दो और तीन फिर ..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: 12.02 हो गये प्रश्नकाल समाप्त हुआ। प्रश्नकाल समाप्त हुआ। प्रश्नकाल समाप्त। ..(व्यवधान)

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पहली बार आपसे निवेदन कर रहा हूं। एक मुद्दा बस मामूली है ..(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): किसान बरबाद हो रहे हैं। आन्दोलन कर रहे हैं उनको लाठियों से पीटा जा रहा है और आप कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। इस ट्रीटमेंट प्लान्ट को बंद किया जाए ..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त हो गया। मंत्रीगण, सदस्यगण अपना-अपना स्थान ग्रहण कर लें। प्रश्नकाल समाप्त हुआ ..(व्यवधान) जब प्रश्नकाल समाप्त हो जाता है तो जवाब नहीं हो सकता। नौ-नौ। समाप्त-समाप्त।

प्रश्नकाल समाप्त।

श्री अध्यक्ष: मुझे माननीय सदस्यों को यह सूचना देनी पड़ रही है कि मंत्रिपरिषद् के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव प्रतिपक्ष ने रखा है। माननीय रामनारायण जी चौधरी और 25 अन्य सदस्य, विधान सभा ने प्रक्रिया और कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 132 के अन्तर्गत मंत्रिपरिषद् में अविश्वास के प्रस्ताव की निम्न सूचना दी है, यह सदन मंत्रिपरिषद् के प्रति अपना अविश्वास प्रकट करता है। अब उक्त प्रस्ताव यद्यपि नियमानुसार नहीं है। इसलिए नहीं है कि यह सूचना दी जानी चाहिये थी सचिव को। हमारे नियम ..(व्यवधान) पहले बात सुन लीजिये। बीच में नहीं बोलेंगे आप। मुझे सुन लीजिए पहले। यह हमारी नियमावली के जो नियम हैं उसमें यह है कि यह सूचना सचिव को दी जायेगी। आपने यह सूचना सचिव को नहीं दी। यह भी है कि एक घण्टे पहले दी जायेगी। हमारे नियम तो इसके बारे में मौन हैं। राजस्थान के नियम तो मौन हैं लेकिन कॉल और शकधर यह बात कहते हैं कि एक घण्टा पहले सूचना दी जायेगी इसलिए नियमानुसार तो नहीं है। अंतः इस पर सदन की आज्ञा ली जाने हेतु माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमति प्रदान कर रही है ..(व्यवधान) सुनिये। अनुमति जब 40 होंगे, यह बात इसलिए मैं आपके 40 ..(व्यवधान) बीच में नहीं बोलेंगे आप। इसलिए इस सम्बन्ध में जो प्रक्रिया अपनायी जायेगी वह मैं आपको बता रही हूं। क्या प्रक्रिया होगी अनुमति देने के लिए सदस्यों की संख्या कम से कम 40 सदस्य होंगे तो जाकर इसकी अनुमति दी जा सकी है। सदस्य द्वारा लेकिन जो पेश करेगा माननीय सदस्य वह सदस्य अनुमति जब मांगेंगे, पहले आप पेश करेंगे इसे तो भाषण नहीं देंगे केवल यही एक सेन्टेंस करेंगे कि यह सदन मंत्रिपरिषद् में अपना अविश्वास प्रकट करता है। उक्त प्रस्ताव जिस दिन विचारार्थ लिया जाए इस बारे में सदन यदि उचित समझा जाए तो आपने तो सूचना दे दी प्रक्रिया के नियम 132(2) के अन्तर्गत, ऐसे प्रस्ताव अनुमति

मांगने के दिन से 10 दिन के भीतर-भीतर कार्य तय करने पर विचार किया जाता है उसे विचारार्थ लिया जाता है। आप 40 माननीय सदस्य, मैंने कहा दोनों ही आपका नियमानुसार तो नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि आपने दिया है प्रस्ताव तो इस बारे में मैं मंजूर कर रही हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आपका अधिकार है।

श्री अध्यक्ष: हां, 40 सदस्य, लेकिन 40 सदस्य हों। पहले 40 सदस्यों के बाद दूंगी अनुमति। आप कृपया पहले ..(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): अभी तो आपके पास विचारार्थ है। अब नियमानुसार आप इसमें पेश करें फिर आप 40 ..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप पहले पेश करें। पहले आप पेश करिये। ..(व्यवधान) हां, मैं करूंगी ..(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): प्रतिपक्ष के नेता रखना ही नहीं चाहते अविश्वास का प्रस्ताव। आपने रखा है, आप प्रस्ताव कर रहे हैं क्या ?

श्री अध्यक्ष: अनियमित होते हुए भी मैंने इसे इनआर्डर मान लिया। अनियमित होते हुए भी आपकी दोनों बातें सचिव को देने वाली और एक घण्टा पूर्व देने वाली, यद्यपि दोनों ही बातें नहीं हैं फिर भी आप पेश करें ..(व्यवधान) प्रस्तुत करने की ..(व्यवधान)

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह हमेशा के लिए कोई परम्परा तो नहीं बन जायेगी अगर यह नियमों में नहीं है तो।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे कहना नहीं चाहिये सदन के विहप के द्वारा प्रस्ताव नहीं आया तब भी हमने एक्सपेल किया। यह नियम के अन्तर्गत है ? परम्परा के अन्तर्गत है ? परम्परा और नियमों की बात करें तो एक रूलिंग पार्टी के सदस्य को सत्र समय के लिए आपने बाहर निकाला यह प्रस्ताव क्या सदन ने रखा है ? यह नियम के अन्दर है ?

श्री अध्यक्ष: आपके नेता खड़े हैं ..(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह नियमों में है माननीय अध्यक्ष जी को यह अधिकार है कि किसी भी माननीय सदस्य को सदन से बाहर निकाल सकते हैं। ..(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): इस हाउस में, सत्र के लिए नहीं निकाल सकते। माननीय अध्यक्ष एक दिन के लिए निकाल सकते हैं। नियम और कानून की बात कर रहे हैं। जब हम परम्परा की बात कर रहे हैं तो हमको मत दिलाओ यहां ..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कल तो आप बड़ी घुट-घुट कर बात कर रहे थे सदन की नेता से और आज अविश्वास का प्रस्ताव ले आए। कल एक घण्टा तक घुट-घुट कर बात करी है। ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आप बात तो सुनो।

श्री अध्यक्ष: क्या बात सुनूं ?

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): हम तो सेक्रेटरी साहब को ही देने जा रहे थे ..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: तो फिर क्या हुआ ?

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): लेकिन आपके पार्लियामेंटरी अफेयर मिनिस्टर ने हमें घेर कर आपके पास पेश करवा दिया। ..(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर इसके जनक हैं क्या ?

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): और आप साक्षी के तौर पर अपने सचिव महोदय से यहां तो नहीं चैम्बर में पूछ लीजिएगा मैं वहां चला गया था। तो यह मुझे वहां पता चला कि पार्लियामेंटरी अफेयर मिनिस्टर ने आपको पेश करवा दिया ..(व्यवधान)

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): आपसी समझौते का मामला है ..(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अब आपकी और मेरी बात यहां क्यों कह रहे हो ? ..(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): दोनों में समझौता है ..(व्यवधान)

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): यह गोपनीय दस्तावेज है ..(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह तो पहली बार देखा साहब हमने।

श्याम/चौहान 21.09.2007 12.10 1h अशोधित प्रति/प्रकाशनार्थ नहीं

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आप साक्षी के तौर पर अपने सचिव महोदय से यहां तो नहीं लेकिन चैम्बर में पूछ लीजियेगा, मैं वहां चला गया था लेकिन मुझे तो वहां पता चला कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर साहब ने आपके पेश करवा दिया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): वह आपकी और मेरी बात है, यहां क्यों कह रहे हो ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): दोनों में समझौता है ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह तो पहली बार देखा गया ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आदरणीय महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 132..

श्री अध्यक्ष: वह तो मैंने कर दिया उद्वरित, आप तो केवल अपना अविश्वास का प्रस्ताव पढ़ दें।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): वही पढ़ रहे हैं।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): इतना तो मुझे पढ़ना ही पड़ेगा, अच्छा है मेरा नाम आ जायेगा, दो लाइनें लिख जायेंगी मेरे नाम के साथ।

श्री अध्यक्ष: अच्छा, अच्छा, पढ़िये, हां, हां, पढ़ें, चलिये।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मंत्रिपरिषद में अविश्वास के प्रस्ताव की सूचना प्रेषित है। यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना अविश्वास प्रकट करता है। उक्त प्रस्ताव पर नियमानुसार सदन की परंपरा के अनुसार अवसर प्रदान करें।

श्री अध्यक्ष: कल तो विश्वास प्रकट कर रहे थे। कल तो विश्वास प्रकट कर रहे थे, आज अविश्वास हो गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): नहीं, नहीं, उक्त प्रस्ताव पर ...(व्यवधान) प्रस्ताव नहीं आया है, केवल सूचना दी है। यह प्रस्ताव नहीं किया है, प्रस्ताव का विधिवत मूव नहीं किया है इन्होंने, इन्होंने सिर्फ सूचना दी है। अगर इनको प्रस्ताव रखना है तो मूव करें विधिवत रूप से। सूचना दे रहे हैं, सूचना पढ़ रहे हैं यह तो ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): यह फैसला आप नहीं करेंगे, यह फैसला आसन करेगा कि यह प्रस्ताव है या नहीं है, आपको नियमों की जानकारी नहीं है आप तो वहां पर ही चालीस ...(व्यवधान) दस्तखत करने लगे ...(व्यवधान) केवल एक आदमी नियमों में अकेला आदमी पेश कर सकता है ...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): आप आसन से बात करिये, इधर मत करिये ...(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): चालीस हाथ खड़े करेंगे ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: आसन से ही तो निवेदन कर रहा हूं ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): 60 मौजूद हैं 60 ...(व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आसन से ही तो निवेदन कर रहा हूं कि व्यवस्था इसमें भी दीजिये ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह सी.पी. जोशी सारा काम गड़बड़ करवाते हैं, यह लिख देते हैं ...(व्यवधान)

मंत्रि परिषद में अविश्वास का प्रस्ताव

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना अविश्वास प्रकट करता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह हुई बात ...(व्यवधान) करिये साहब।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): हाथ खड़े करो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): 40 हाथ खड़े करो ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप खड़े होवें ...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): 40 से क्या होगा ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): नहीं, नहीं, 40 ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: खड़े होवें ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): गिनें साहब, 40 नहीं हैं ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, 40 नहीं हैं, यह संख्या पूरी नहीं हैं अध्यक्ष महोदय, संख्या पूरी नहीं है ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): 38 हैं, 38 हैं ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): 38 हैं ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): 54 हैं ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): 38 हैं ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): 47 हैं, 47 ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: 40 ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रार्थना करूंगा ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: हां, अब आप बतायें कब समय दिया जाये ...(व्यवधान) आप टाइम बता दें कब चर्चा करायें ...(व्यवधान) नहीं, अनुमित है ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह निवेदन करना चाहूंगा, यह सही है कि नियमों और प्रक्रिया के नियमों में ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): पहले इस पर चर्चा होगी, पहले इस पर चर्चा होगी, अब कोई नियम ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अब नियम नहीं बतायें ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आपको फैसला करना है ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आपको फैसला करना है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप कहने तो दें ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): किस पर बोलना है ...(व्यवधान) यह कोई जीरो ऑवर नहीं है ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): सरकार को जाना ही पड़ेगा ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आपने हमें कहा कि नियमों में नहीं लाये ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): अब कुछ नहीं हो सकता है ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप नियमों में आयें। नियमों में आपको फैसला करना है, आप चैम्बर में जाकर के फैसला कर लें। हम कोई बातें नहीं सुनेंगे।

श्री अध्यक्ष: आप उनको बोलने का मौका दे ना ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): फैसला आपको करना है ...(व्यवधान) इनकी बात नहीं सुनेंगे ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): नो, कोई नहीं बोल सकता है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैं करूंगी ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): नहीं सुनेंगे, हम नहीं सुनेंगे ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): हो गयी ...(व्यवधान) आपने संख्या गिन ली ...(व्यवधान) आप स्वीकार कीजिये और चर्चा प्रारंभ करायें ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): माहिर साहब ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, नियमानुसार 40 आदमी हम खड़े हो गये। आप फैसला करवायें, हम इनको नहीं सुनेंगे ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सदन की परंपरा की तरफ आपका ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, 40 आदमी हम खड़े हो गये हैं, आपको फैसला करना है ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, 22 वर्ष के अंतराल के बाद यह अविश्वास का प्रस्ताव आया है ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप सबको डांटते भी रहें, नियमों में यह कौनसा नियम है, यह कौनसा नियम है, कोई अलाऊ ही नहीं है इसमें ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब बोल रहे हैं, सुन तो लो कि क्या कह रहे हैं ...(व्यवधान) सुन तो लीजिये ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): यह कोई नियम ही नहीं है ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मुझे अलाऊ किया है ...(व्यवधान) मुझे अलाऊ किया है ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई नियम नहीं है ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सी.पी. साहब मुझे अलाऊ किया है ...(व्यवधान) सी.पी. साहब मुझे अलाऊ किया है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: इसमें लिखा है ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): इसमें नियम ही नहीं है ...(व्यवधान) आप चैम्बर में बात करिये ...(व्यवधान) हाउस में बात नहीं ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सी.पी. साहब मुझे चेयर ने अलाऊ किया है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया स्थान ग्रहण करें। उनको यह कहने का हक तो है ना कि कब नीयत किया जाये ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): बात यह नहीं है।

श्री अध्यक्ष: यह क्या बात हुई ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): यह नहीं है, यह लीडर हैं क्या, इनको नहीं है।

श्री अध्यक्ष: यह गलत बात है ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, लीडर को है इनको नहीं है। यह आप बहुत गलत परंपरा कर रहे हैं, हाउस के अंदर लीडर नहीं आये हैं, यह किसके कारण बोल रहे

हैं ...(व्यवधान) फैसला करना है, लीडर ऑफ दी हाउस आकर के बोलेंगे, यह किस पर कर लेंगे ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से अध्यक्षीय व्यवस्था पढ़कर सुनाना चाहता हूं ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आपने बहुत गलत परंपरा डाल रखी है ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आपने बहुत गलत परंपरा डाल रखी है ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मैं आपकी अनुमति से 22 वर्ष पहले जब अविश्वास का प्रस्ताव आया था तब तत्कालीन अध्यक्ष महोदय ने जो व्यवस्था दी थी उसकी और ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): जिस मंत्रिपरिषद पर अविश्वास प्रस्ताव रखा है उसकी बात कैसे सुनेंगे हम ...(व्यवधान) चीफ व्हिप बोलें। नहीं सुनेंगे अध्यक्ष महोदय।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): अध्यक्ष महोदय, मंत्रिपरिषद में ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मेरी सुनिये ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, नहीं सुनेंगे ...(व्यवधान) बिलकुल नहीं सुनेंगे ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मंत्रियों को नहीं सुनेंगे ...(व्यवधान) बोल सकते हैं ...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): अविश्वास प्रस्ताव आ गया मंत्रिमंडल पर ...(व्यवधान) आप फैसला करिये ना ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, नहीं सुनेंगे ...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आपको फैसला करना है ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): नहीं सुनेंगे ...(व्यवधान) मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास रखा है हमने ...(व्यवधान) मंत्रियों के खिलाफ अविश्वास रखा है ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): करना चाहूंगा, व्यवस्था पर ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मंत्रिपरिषद में अविश्वास रखा है ...(व्यवधान) मंत्री नहीं हो सकता है, मुख्य सचेतक कहे ...(व्यवधान) चीफ व्हिप कहे ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अविश्वास प्रस्ताव आते ही उसे करेगा अध्यक्ष महोदय ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मंत्री नहीं बोल सकता है ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): तीन घंटे का समय निश्चित किया ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मंत्रियों पर विश्वास ही नहीं है कोई ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): और आपकी पार्टी के नेता जब चीफ व्हिप थे उन्होंनें जो कुछ कहा, बुलाकीदास जी कल्ला ने जो कहा मैं उसे उद्धृत करना चाहूंगा, हम चाहते हैं आप समय तय करें, सरकार अविश्वास के प्रस्ताव का जवाब देने को तैयार है ...(व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य: नो, नो ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): हम चाहते हैं सरकार जवाब देने के लिए तैयार है, हिम्मत है तो ...(व्यवधान) अध्यक्षीय व्यवस्था है, मैं इसके बारे में आपका ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा और अगर आप अनुमति दें तो मैं ...(व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, आपको फैसला करना है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्लीज बैठिये, स्थान ग्रहण करें।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): यह किस आधार पर बोल रहे हैं ...(व्यवधान) किस आधार पर बोल रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण करें ...(व्यवधान) कृपया स्थान ग्रहण करें ...(व्यवधान) शांत रहें ...(व्यवधान) अब आप नहीं बोलेंगे ...(व्यवधान) अब आप नहीं बोलेंगे, सुनिये आप लोगों ने सुना नहीं, मि. रामलाल, आप लोगों ने सुना नहीं, उन्होंने केवल यह कहा है कि पिछली बार जब अविश्वास का प्रस्ताव आया था तो मुख्य सचेतक ने खड़े होकर के आपके जो मुख्य सचेतक थे कल्ला जी ने ...(व्यवधान) आप बात तो सुनिये, नो, गलत बात है, बीच में बोलते हैं आप, गलत बात है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मंत्रिपरिषद में अविश्वास है ना यह ...(व्यवधान) यह क्या तरीका होता है, नहीं बैठेंगे ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह गलत बात है आपकी ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मंत्री नहीं बोल सकता है ...(व्यवधान) ऐसे कैसे धमकाओगे आप ...(व्यवधान) क्या तरीका है ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): क्या तरीका लगा रखा है ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मुख्य सचेतक बोल सकते हैं ...(व्यवधान) आप कौन होते हैं बोलने वाले ...(व्यवधान) घर का राज समझ रखा है ...(व्यवधान) घर का राज है क्या तुम्हारा ...(व्यवधान) ऐसे नहीं बोल सकते हैं ...(व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आसन पैरों पर है उसका तो ख्याल रखें ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): दादागिरी लगा रखी है यहां ...(व्यवधान) दादागिरी आ गयी ...(व्यवधान) यह क्या तरीका हुआ ...(व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री अध्यक्षः मैंने पढ़ लिया, मैंने पढ़ लिया ...(व्यवधान) आप समझ ही नहीं रहे हो। आप तो सुनने को ही तैयार नहीं हो।

सदन की कार्यवाही 12.30 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 12.18 बजे 12.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

jyg/akt/21.9.7/12.30/1k

(12.30 बजे)

(पुनः समवेत होने पर)

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्षः आधा घण्टे के लिए स्थगित की जाती है। आधा घण्टे के लिए सदन की बैठक स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 12.30 बजे आधा घण्टे के लिए स्थगित हुई।

21092007/1300/gpc/akt/1n

(1300 बजे)

(पुनः समवेत होने पर)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्षः जैसा कि...

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले आज का बिजनेस ट्रांजेक्शन होगा।

श्री अध्यक्षः क्यों?

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): क्योंकि आपने हमको लिखकर दिया है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में पास हुआ है, what is the business of the House. That has been informed to us. You have not changed it. आपको 11.00 बजे अविश्वास का प्रस्ताव मिल गया था, आपको चेंज करना था तो पहले आप अनाउंस करते कि आज का जो बिजनेस है उसके पहले मैं अविश्वास का प्रस्ताव ले रही हूं. That you have not communicated to us.

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, अविश्वास के प्रस्ताव पर टॉप प्रायरटी लेकर माननीय अध्यक्ष जी ने आपके कहने पर, आपका इसमें नियमानुसार नहीं आने के बाद भी अनुमति दी, अब आप कह रहे हैं ..(व्यवधान)..

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, आप नियमों का हवाला दे रहे हैं इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको नियमानुसार सबसे पहले यह अनाउंस करना था कि आज के बिजनेस को मैं सस्पेंड करती हूं, सस्पेंड करके प्राथमिकता के आधार पर अविश्वास प्रस्ताव लेती हूं। आपने यह चेयर से प्रोनाउंसमेंट नहीं किया, आपको सबसे पहले प्रोनाउंसमेंट करना था कि आज के बिजनेस को सस्पेंड करती हूं और मैं अविश्वास प्रस्ताव लेती हूं। आप उठाकर देख लें ..(व्यवधान).. इसके बिना नहीं हो सकता। अध्यक्ष महोदय, आप परम्पराओं की बात कर रहे हैं पिछले तीन दिन से। तीन दिन से आप परम्पराओं की बात कर रहे हैं, 50 साल की परम्पराओं की बात कर रहे हैं। आप उठाकर देख लीजिए आपने यदि फैसला किया हो कि आज के बिजनेस को मैं सस्पेंड करती हूं और अविश्वास का प्रस्ताव लेती हूं तो समझ में आता। आपने अभी तक इस क्षण तक हाउस में अध्यक्ष महोदय, आज के बिजनेस को सस्पेंड नहीं किया है। ..(व्यवधान)..

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह कहना चाहता हूं और विधान सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 132(2) की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं- यदि अध्यक्ष की राय हो ..(व्यवधान).. 132(3) में लिखा है- अध्यक्ष सदन में चर्चा करने के लिए समय नियत करेगा।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास है। मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य नहीं बोल सकता।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, 132(3) में लिखा है ..(व्यवधान).. अध्यक्ष महोदय, इस सदन के अंदर 1981 में अविश्वास का प्रस्ताव आया था ..(व्यवधान).. अध्यक्ष महोदय, 1985 में अविश्वास का प्रस्ताव आया था ..(व्यवधान).. सरकार ने इनके चैलेंज को स्वीकार किया है। इनके प्रस्ताव पर आप समय तय करें हम इनकी चुनौती को स्वीकार करेंगे, हम उत्तर देने के लिए तैयार है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण ..(व्यवधान)..

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): पाइंट ऑफ आर्डर अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, यह सदन नियम और कानून से चलता है।

श्री अध्यक्ष: 1979 में ..(व्यवधान)..

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, संविधान में आपको भी यह अधिकार दिया है बिजनेस के जो अधिकार दिये हैं वे कांस्टीट्युशन में दिये हुए हैं।

श्री अध्यक्ष: मुझे क्या अधिकार है?

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): कांस्टीट्युशन के अंतर्गत ही चलता है।

श्री अध्यक्ष: क्या अधिकार है और क्या नियम है मैं भी जानूं।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान रूल 132 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। "If leave is granted under sub-rule (2), the Speaker may, after…" Not 'shall'. " … the Speaker may, after

considering the state of business in the House, ..” मैं फिर दुबारा पढ़ रहा हूं 132(3) देख लीजिए। “If leave is granted under sub-rule (2), the Speaker may, after considering the state of business in the House, ..” यह हाउस में जो बिजनेस है उसको अभी तक बदला नहीं है। You have communicated to us that आज पुलिस बिल आएगा यह हमारे पास भी लिखा हुआ है – “ … allot a day or days or part of a day for the discussion of the motion.” After the transaction of the business. It is not in your hand, अध्यक्ष महोदय. Please don’t misinterpret. यह आधे पढ़े वकील मुख्यमंत्री को डुबोएंगे, इस सरकार को भी डुबोएंगे इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं आप बता दीजिए कि आपने इस बिजनेस को ट्रांजेक्शन किया या नहीं पहले। जब तक आप हाउस के बिजनेस को ट्रांजेक्शन नहीं करें तब तक रूल थर्ड के अंतर्गत आपको पार्ट आफ बिजनेस की अनुमति का अधिकार नहीं है ..(व्यवधान)..

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, 132 (3) में लिखा है ..(व्यवधान)..

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): यह कानून में नहीं है ..(व्यवधान).. राजा को खुश करने के लिए ..(व्यवधान).. यह नियम और कानून का राज है, रूल थर्ड के अंदर बहुत स्पष्ट है, आप हर बार पढ़ लें, 5 बार पढ़ लें, बिलकुल क्लीयर लिखा हुआ है आप हाउस के बिजनेस को पहले ट्रांजेक्शन करेंगे उसके बाद आप करेंगे, उसके पहले आप नहीं कर सकते। ..(व्यवधान)..

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य है, यह प्रतिपक्ष का दुर्भाग्य है कि अविश्वास का प्रस्ताव लाने के बाद आप चर्चा करना नहीं चाहते।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): भारतीय जनता पार्टी का दुर्भाग्य है कि आप जैसा आदमी बना हुआ है यहां पर। यह प्रतिपक्ष का दुर्भाग्य है या नहीं, भारतीय जनता पार्टी का दुर्भाग्य है कि आप जैसा मुख्यमंत्री का एडवाइजर बना हुआ है, इससे बड़ा दुर्भाग्य भारतीय जनता पार्टी का हो नहीं सकता। ..(व्यवधान)..

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): कांग्रेस की तैयारी पूरी नहीं है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, आप नियम और कानून को फिर दुबारा पढ़ लें, रूल थर्ड बहुत क्लीयर कहता है, आपने जो हमें बिजनेस कम्युनिकेट किया है उस बिजनेस को आपने एन्टर नहीं किया है ..(व्यवधान).. आप पहले बिजनेस को ट्रांजेक्शन करिए, उसके बाद पार्ट ऑफ दी डे कर सकते हैं उसके पहले नहीं कर सकते। मनमर्जी से हाउस नहीं चलेगा, प्रतिपक्ष प्रोटेस्ट करेगा। आपको निर्णय करने से पहले रूल 132 का थर्ड पार्ट देखना पड़ेगा उसके पहले नहीं ले सकते।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): स्पीकर को पावर है, स्पीकर चाहे वो कर सकते हैं। आप क्यों भाग रहे हैं, आपकी तैयारी पूरी नहीं है।

श्री अध्यक्षः इस सदन के अंदर 1979 में अविश्वास का प्रस्ताव आया था ..(व्यवधान)..

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं होगा। या तो बाहर निकाल दीजिए आप। ..(व्यवधान).. बाहर निकाल दीजिए। ..(व्यवधान).. नहीं सुनेंगे हम इस बात को। ..(व्यवधान).. रखिए, हमारा प्रस्ताव रखिए। ..(व्यवधान).. बाहर निकाल दीजिए। ..(व्यवधान).. ऐसे नहीं चलेगा। नियम और कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। नहीं चलेगा। ..(व्यवधान).. या तो बाहर निकाल दीजिए।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, आसन को धमका रहे हैं ..(व्यवधान)..

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): बाहर निकाल दीजिए आप।

श्री अध्यक्षः इस मामले में अध्यक्षीय व्यवस्था भी हुई है और वह अध्यक्षीय व्यवस्था मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहती हूं।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप रूल सुनाएं, अध्यक्ष की व्यवस्था बाद में आती है। आप गलत परम्परा मत डालिए।

श्री अध्यक्षः नई व्यवस्थाएं हो सकती है वे इसका पार्ट हो जाती हैं। अध्यक्ष की व्यवस्था इसका पार्ट हो जाती हैं।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): गलत परम्परा मत कोट करिए। आज दिन तक अध्यक्षीय व्यवस्था में पहले रूल को रेफर किया गया है। आज दिन तक अध्यक्ष की व्यवस्था में पहले रूल को डिस्पोज किया गया है फिर व्यवस्था कोट की गई है, गलत परम्परा डाल रहे हैं।

श्री अध्यक्षः पहले की व्यवस्था सुना सकती हूं ..(व्यवधान)..

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप बाहर निकाल दीजिए।

श्री अध्यक्षः आप बैठो।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): नहीं बैठूंगा मैं। बाहर निकाल दीजिए आप।

श्री अध्यक्षः बाहर जाना चाहते हैं क्या?

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): हां, बाहर निकाल दीजिए आप।

श्री अध्यक्षः मुझे क्या फर्क पड़ता है?

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): हाउस चलाइए, हमें बाहर निकाल दीजिए, हमें कोई तकलीफ नहीं है।

श्री अध्यक्षः आप सुनना नहीं चाहते। ..(व्यवधान)..

एक माननीय सदस्यः माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव से भागना चाहती है। हम अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा चाहते हैं।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): रखिए, प्रस्ताव रखिए। ..(व्यवधान)..

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): हाउस कोई धौंस से चलेगा क्या?

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): प्रस्ताव रखते हैं और चर्चा से बचना चाहते हैं। ..(व्यवधान)..

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): यह आपका घर का राज नहीं है। कानून से काम चलेगा। ..(व्यवधान)..

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सदन छोड़कर भागने की तैयारी मत करो। ..(व्यवधान)..

श्री महीपाल सिंह यादव (बानसूर): अध्यक्ष महोदय, सरकार हठधर्मिता से ऊपर उठ चुकी है। ..(व्यवधान)..

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): एक मिनट मुझे सुन लें।

श्री अध्यक्ष: अध्यक्षीय व्यवस्था को नहीं सुनना चाहते हैं?

श्री महीपाल सिंह यादव (बानसूर): यह सदन लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है। हठधर्मिता नहीं चलेगी। ..(व्यवधान)..

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): रूल पहले कोट करेंगे, परम्पराएं बाद में होगी। ..(व्यवधान).. पहले आज के दिन की कार्यसूची को निपटाया जाए उसके बाद करें।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): कार्यसूची को कैसे निपटाएं जब आपने मंत्रिपरिषद के प्रति अविश्वास कर दिया। ..(व्यवधान).. हाउस का मंत्रिपरिषद में विश्वास है यह बात प्रकट कीजिए उसके बाद हाउस में कोई बिजनेस आएगा। ..(व्यवधान)..

मोहन/21092007/1310/**1o**

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): जब आपने मंत्री परिषद् के प्रति अविश्वास प्रस्ताव रख दिया। ...(व्यवधान)...

श्री महीपाल सिंह यादव (बानसूर): यह डांग क्षेत्र नहीं है। ...(व्यवधान)...

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): मंत्री परिषद् पर विश्वास नहीं है, यह बात प्रकट कीजिए उसके बाद में हाउस में कोई विषय आएगा। ...(व्यवधान)... जब अविश्वास प्रस्ताव ही लग गया तो फिर दूसरा विषय कैसे आ सकता है ? ...(व्यवधान)...

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, आपको न्याय करना पड़ेगा। जिस मंत्री परिषद् के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव रखा है उससे गाइड हो रहे हो ? आपकी ड्यूटी क्या बनती है ? आप निष्पक्ष हैं, अध्यक्ष महोदय, जिस मंत्री परिषद् के खिलाफ हमने अविश्वास प्रस्ताव रखा। ...(व्यवधान)... आपको गाइड होना पड़ेगा नियम और कानून से। नियमों में क्या लिखा है, बताइए आप। बिना नियम के फैसला कर लेंगे क्या आप ? यह कोई भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग है जो फैसला करेंगे आप?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): सदन के कार्य की स्थिति पर विचार करने के बाद होगा। ...(व्यवधान)...

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, निष्पक्ष फैसला करिए। यह कानून में बहुत क्लियर लिखा हुआ है, आपको पहले बिजनेस का ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा। ...(व्यवधान)...

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): इसमें लिखा हुआ है कि अध्यक्ष कर सकेंगे।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आपने किया नहीं है करने की स्टेज पर।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आप तय करेंगे कि यह जो कार्य सूची है उस पर आप विचार करेंगे। ...(व्यवधान)...

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): कर दीजिए, यह राजा का राज नहीं है। ...(व्यवधान)... आपको कल पता पड़ेगा, आज बोल तो रहे हो। शक्ल देखना कल पता पड़ेगा, आपको क्या हो रहा है ? बिराजो आप। ...(व्यवधान)... मुख्य मंत्री जी लिख रहे हैं, देख भी नहीं रहे हैं आप, देख भी उधर रहे हैं नाथूसिंह जी की तरफ।

श्री महीपाल सिंह यादव (बानसूर): आपके कारनामे पूरा प्रदेश जान चुका है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): उस समय कल्ला जी ने कहा कि जिस समय यह आब्जेक्शन हुआ कि चर्चा के बाद की जाए।

श्री महीपाल सिंह यादव (बानसूर): प्रदेश की जनता आपके कारनामों को जान चुकी है, सफाई की जरूरत नहीं है1

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): हम सब तैयार हैं, इस पर चर्चा आत जी करवाई जाए, माननीय अध्यक्ष महोदय।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): यह, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह रूल 3 दस बार पढ़िए आप। यह कोई प्रिसिडेंट नहीं है, पहले रूल फालो करेगा। ...(व्यवधान)...

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि इस अविश्वास प्रस्ताव को विचारार्थ लिया जाए।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): कानून व नियमों के ऊपर परम्पराएं नहीं होती हैं, नियम पहले लागू होते हैं फिर इस कानून के अन्दर एक जुडिशियल आदमी को सेक्रेटरी क्यों बनाया है हमने ? फिर तो किसी आदमी को बना लेते हम, जुडिशियल आदमी को सेक्रेटरी इसलिए बनाया कि वह कानून को ठीक ढंग से इंटरप्रिएट करे। ...(व्यवधान)... आपको दिन का हाउस तो बिजनेस करना पड़ेगा, अध्यक्ष महोदय, उसके बाद आप फैसला करिए, जो भी कर रहे हैं, हम तैयार हैं। हमारे कौन से आते नहीं हैं ? ...(व्यवधान)... बाद में आस फैसला करेगा।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): उसको पेश करने के लिए हम तैयार हैं। ...(व्यवधान)...

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): हम तैयारी में नहीं हैं। ...(व्यवधान)...

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम एवं परम्पराएं भी हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जब अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार किया, आपने उसके पक्ष में सदस्यों को खड़ा किया और उसके बाद में सदस्य संख्या जब पूरी थी तो आपको यह कहना चाहिए था कि चूंकि अविश्वास प्रस्ताव प्राप्त हो गया है इसलिए मैं सदन में आज की जो नीयत कार्य सूची है उसको स्थगित करके और पहले इसको लेती हूं। ...(व्यवधान)...

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप बिराजें, मुख्य मंत्री जी तो सुन ही नहीं रही, आप क्यों खड़ा होकर हल्ला कर रहे हैं ?

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): उसके बाद आप कह रहे हो, इस पर करेंगे। ...(व्यवधान)...

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): इससे आपके नम्बर नहीं बढ़ेंगे, बेकार है। ...(व्यवधान)...

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): नम्बर किसके बढ़ाओगे, आप तो अपने ही बढ़वा लो। ...(व्यवधान)...

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): अब आप आसन को डाइरेक्शन देंगे ? अभी इस स्थिति में नहीं हैं आप ? ...(व्यवधान)...

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): संविधान का उल्लंघन करने का अधिकार न अध्यक्ष महोदय को है, न किसी को है, भारतीय संविधान के अंतर्गत यह नियम बना हुआ है, संविधान का वाएलेशन करने का अधिकार नहीं है आपको। ...(व्यवधान)...

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): पहले मंत्री परिषद् के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लो, पहले उस पर होगी चर्चा। ...(व्यवधान)... क्या होगा इसमें खड़े हो गये यहां आकर? नियमों से चलेगा हाउस। ...(व्यवधान)... पहले नियम फिर प्रथाएं। ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, 22 वर्षों के बाद अविश्वास का प्रस्ताव आया है और इतने गेप के बाद वापस इसको लेकर आए हैं। ...(व्यवधान)... हम सब तैयार हैं।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): यह संवैधानिक व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था के अतर्गत रूल बने हुए हैं, इन नियमों का वाएलेशन करने का अधिकार आपको, हमको नहीं है। आपके संविधान के अंतर्गत बने रूल हैं। संविधान का वाएलेशन करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। ...(व्यवधान)... संविधान के बने हुए रूल 3 के अंतर्गत, अध्यक्ष महोदय, आपको बिजनेस ट्रांजेक्शन करने के पावर हैं।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य सदन को गुमराह कर रहे हैं।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप 12 दिन में करवाएं, एक दिन में करवाएं, पर पहले आपको हाउस में बिजनेस ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): इस किताब में जो लिखा हुआ है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): यहां नियमों, कानूनों पर बता रहे हैं और संविधान के अंतर्गत जो कानून बने हुए हैं। *** हम आपसे आशा करते हैं, अध्यक्ष महोदय, आप कॉमनवेल्थ की मीटिंग में जा रही हैं, *** आपको उदाहरण प्रस्तुत करना पड़ेगा कि संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत सेशन चल रहा है। ...(व्यवधान)...

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): तो आप अविश्वास प्रस्ताव बाद में लाते।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): इसमें ऐसी कौन सी बात लिखी हुई है जो आप इतना जोर जोर से बोल रहे हैं। ...(व्यवधान)...

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): 3 नम्बर पढ़िए। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, आप यदि मुझे सुनेंगे तो मैं सब स्पष्ट कर दूंगी।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): इसमें यह है कि अनुमति दे दी जाए, अध्यक्ष महोदय, सदन के कार्य की स्थिति पर विचार करने के बाद चर्चा के लिए कोई दिन तय कर सकते हैं। ...(व्यवधान)...

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): कार्य की सूची तो हमारे पास आज पुलिस एक्ट है। ...(व्यवधान)...

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): ढंग से पढ़ें इसको। ...(व्यवधान)...

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): पढ़ लिया ढंग से। ...(व्यवधान)... पढ़ा लिखा हूं आपसे ज्यादा ...(व्यवधान)... क्या पढ़ें ? यह क्या दादागिरी है ? क्या पढ़ लें ? ...(व्यवधान)... यह क्या पढ़ लिया, हम अनपढ़ हैं क्या ? ...(व्यवधान)... आप ही पढ़े लिखे हो क्या ? ...(व्यवधान)... पढ़े-लिखे बातें कर रहे हैं अपनी। ...(व्यवधान)... हम आपकी मर्सी पर नहीं हैं। हम प्रोटेस्ट करेंगे तो करेंगे। ...(व्यवधान)... हां, पढ़ लीजिए। ...(व्यवधान)...

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, नियमों की व्याख्या वही नहीं जो सीपी जोशी करेंगे, वही नियमों की व्याख्या नहीं है, नियमों की व्याख्या अध्यक्ष जी करेंगे। ...(व्यवधान)... वही नियम बता रहे हैं जो अध्यक्ष महोदय, कर रहे हैं।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): बताइए अध्यक्ष जी को।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): सदन में आसन सर्वोपरि है, आपने अपनी बात कह दी, आप डिक्टेशन देओगे क्या अध्यक्ष जी को ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह दोनों प्रोफेसर ऐसी बातें कर रहे हैं तो हमारे स्टूडेंट्स का क्या होगा ?

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अच्छा है कि आप इन प्रोफेसर के साथ काम कर रहे हो, बाहर निकल जाओगे तो सुखी रहोगे।

*** अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री अध्यक्ष: ऐसा है, मैं वैसे तो नियमों की बात ही कर रही हूं, नियमों के अन्दर जो नियम बता रहे हैं, मुझे, मैं नियम के बारे में पूरा स्पष्ट कर दूं थोड़ा, "If leave is granted under sub-rule (2), the Speaker may, after considering the state of business in the House, allot a day or days or part of a day for the discussion of the motion." इनका कहना यह है जिसमें अध्यक्ष की व्यवस्था हुई हुई है, इनका कहना यह है कि पहले आप आज के दिन का बिजनेस ट्रंसजेक्ट करो और उसके बाद आप इस पर बहस कराइए, इनका कहना यह है लेकिन मैं यह कहना चाहती हूं इस बारे में पहले 1979 में व्यवस्था दी हुई है और वह व्यवस्था भी स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था देनी चाहिए थी। मुख्य मंत्री ने अब स्थगन प्रस्तावों के बारे में परम्परा का जिक्र किया, इस बारे में मैं कहना चाहता हूं कि अविश्वास प्रस्ताव उस आधार पर आज का दिन चर्चा के लिए नीयत किया गया है, सामान्यतया यही परम्परा है कि ...(व्यवधान)... सुनिए, तो सही, बात तो सुन लीजिए, परम्परा यही रही है कि अविश्वास प्रस्ताव पर जब चर्चा हो तो स्थगन प्रस्ताव आदि नहीं लिए जाएं लेकिन मैं यदि आप इससे भी संतुष्ट नहीं होते हैं। ...(व्यवधान)... सुनिए, सुनिए, लेकिन नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य इसे भी संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, इस दी गई व्यवस्था से संतुष्ट नहीं हो रहे हैं तो उनको फिर मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि नियम 307 के जो रिज्यूडरी पावर हैं, मैं उन रिज्यूडरी पावर के अंतर्गत बाकी के काम को आज के दिन फिलहाल सस्पैंड करते हुए सबसे पहले इस अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करके मूवर को आमंत्रित करती हूं।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, आप नहीं ले सकते इसको। ...(व्यवधान)...

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आपको शायद विद्वान होने की बहुत बड़ी एलर्जी हो गई है। ...(व्यवधान)...

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, आप रिज्यूडरी पावर को ले सकते थे नीयत करने के पहले। ...(व्यवधान)...

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): इनके मुकाबले में कोई विद्वान है ही नहीं, सारी ठेकेदारी विद्वता की सीपी जोशी साहब ने ले रखी है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): नहीं, नहीं रहेंगे, अपन हाउस में नहीं रहेंगे। ...(व्यवधान)...

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): शताब्दी ट्रेन आपने रवाना कर दी, अब यह ट्रेन रूकेगी नहीं।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): अध्यक्ष महोदय, इस रूल का उपयोग तो आप कर सकते थे। लेकिन इस बहस के बाद आपको 132 में जो प्रावधान है उसको मानना चाहिए। ...(व्यवधान)...

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह है इसका मतलब। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: और सुनिए, इसके अलावा, 1985 का भी मैं आपको सुनाना चाहूंगी कि उसके अंदर अध्यक्ष महोदय ने कहा अविश्वास प्रस्ताव आपकी तरफ से आया है, राज्य सरकार उस चेलेंज को स्वीकार करके उस पर तत्काल बहस करना चाहती है तो इस पर विलम्ब करने से कोई नतीजा नहीं निकलेगा। मैं चाहता हूं कि इसको तत्काल प्रारंभ कर दिया जाए और मैं उसके लिए दो घंटे बहस के लिए तय करता हूं, फिर बीच में कहा, नहीं जैसे आज आब्जेक्शन कर रहे हैं नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य उसी तरीके से कुछ लोगों ने नवरंग सिंह, नत्थी सिंह, हरिकुमार औदिच्य इन्होंने किया तो उन्होंने कहा माननीय सदस्य, ऑर्डर, माननीय सदस्य, इसमें मैं तीन घंटे का समय निश्चित करता हूं, जब लोगों ने कहा कम समय है तो उन्होंने दो की जगह तीन घंटे कर दिया। फिर जब बहस हुई तो उन्होंने कहा कि मुझे आज इस अविश्वास के प्रस्ताव के बाद आज का बिजनेस समाप्त करना है इसलिए आज अविश्वास के प्रस्ताव के बाद आज का बिजनेस लिया जाएगा।

Skp/akt/21.9.2007/13.20/1p

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, 307 के इंटरप्रिटेशन में है, अध्यक्ष महोदय, माफ करना, मेरा आप निवेदन सुन लें। आप निवेदन सुन लें। अध्यक्ष महोदय, जो आप कोट कर रहे हैं उस समय पूरे सदन की कार्यवाही हुई थी। कांग्रेस पार्टी का सत्ता पक्ष पर यह आरोप है कि सदन की कार्यवाही पूरे समय पर नहीं चलती है। यह आज दूसरा सेशन 6 महीने के बाद तीन दिन का सदन चल रहा है।

श्री अध्यक्ष: यह अलग बात है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): हमारा अविश्वास प्रस्ताव लाने की मंशा यही है कि राजस्थान की जनता में यह मैसेज जाए कि यह सरकार तीन दिन का कार्य करके कांस्टीट्यूशनल रिक्वायरमेंट पूरा कर रही है इसलिए हम जनता के बीच में मैसेज देना चाहते थे कि अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से इसमें अधिकार लिखा हुआ है, यह हमारा अधिकार है, इस अधिकार को हम प्रोटेक्ट करना चाहते है (व्यवधान) इसलिए हम प्रोटेस्ट करना चाहते थे और हमारा प्रोटेस्ट आज भी यही है। (व्यवधान)

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (केसरीसिंहपुर): आपके राज में भी..... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप सदन की कार्यवाही को कर्टेल करते है तो कांग्रेस इसमें पार्टी नहीं बनेगी। यह आप हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं और राजस्थान की जनता के साथ अन्याय कर रहे हैं कि आप सदन की कार्यवाही को कम चलाकर के भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है उसके ट्रेप में फंस रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करेगी और कांग्रेस पार्टी जनता में जाकर कहेगी कि यह सरकार जनता की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, गोली चलाती है, लोगों को मरवाती है उसके बाद भी न्याय नहीं करना चाहती है इसलिए हम सरकार को और मौका नहीं देना चाहते। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, हम अपनी बात को कहेंगे और सदन की कार्यवाही बराबर चलनी चाहिए। (व्यवधान)

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (केसरीसिंहपुर): अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी क्या कहेगी, क्या नहीं कहेगी..... (व्यवधान) सदन में बोलने को तैयार हैं, सदन में चर्चा प्राप्त की जाए।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ...... राजस्थान की जनता के साथ अन्याय किया जा रहा है इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दे दी है। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रतिपक्ष के नेता महोदय से कहना चाहता हूं कि..... (व्यवधान) अविश्वास प्रस्ताव रखा है.....

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, अविश्वास का प्रस्ताव विचारार्थ आपने लिया इसके लिए धन्यवाद उनको देना चाहिए पर धन्यवाद आपको सत्ता पक्ष दे रहा है कि इस अविश्वास के जरिये राजस्थान के चहुंमुखी विकास के लिए सरकार ने जो काम किया उसकी सदन में आज चर्चा होगी। अध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दे दी है। अध्यक्ष महोदय, आप नाम पुकारो। आप चर्चा प्रारम्भ करायें। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, नाम पुकारो।

एक माननीय सदस्य : अविश्वास प्रस्ताव पर हम चर्चा करना चाहते हैं। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): यह सत्र मात्र कभी 20 दिन, 23 दिन, 24 दिन चलता है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्यगण, कृपया स्थान ग्रहण करें। कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। नो-नो, बनेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) आपकी इस बात से तो यह आसन भी सहमत है कि विधान सभा अधिक चलनी चाहिए लेकिन अविश्वास का प्रस्ताव इसलिए लाया जाए कि अविश्वास के प्रस्ताव को या तो आप एक्सैप्ट करो और एक्सैप्ट करके या तो चर्चा करो और चर्चा नहीं करते हो और नहीं करवाते, यह तो हम विद्ड्रा करने को तैयार हैं सदन का समय बढ़ा दो, यह गलत बात है। इस बात के मैं पक्ष में नहीं हूं। यह आपकी बात ठीक नहीं है। वरना मैं चाहूंगी कि मुख्य मंत्रीजी, सदन की नेता भी हैं, मंत्रिमण्डल भी है, मैं चाहूंगी कि आप सदन को और अधिक चलाया करें। यह बात अपोजिशन की बिल्कुल वाजिब है कि 60 दिन से कम नहीं चलना चाहिए।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): .... आप मर्सी पर हो, मैं मर्सी पर नहीं हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: ताकि जन-हित के मुद्दों पर हम यहां पर चर्चा कर सकें और उसका निराकरण कर सकें। यह तो करना चाहिए लेकिन यह तरीका नहीं है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 307 इसमें लागू ही नहीं होता है। रूल ही गलत कोट किया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आपकी भावनाओं से सत्ता पक्ष सहमत है। हमारा जितना बिजनैस होगा उतने दिन हम सदन को चलाने के लिए तैयार हैं। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, आपकी भावनाओं को परिलक्षित लीडर ऑफ द हाउस को करना चाहिए था In what capacity you are doing it? हमने आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं रखा है। (व्यवधान) हमने कहा है कि आप ट्रायल कर रहे हैं, आप जज भी हैं और पार्टी भी हैं।

श्री अध्यक्ष: करेंगे।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि आप जज भी हैं और पार्टी भी हैं। यह सदाशयता तो लीडर ऑफ द अपोजिशन को बतानी चाहिए थी पर वो तो बता नहीं रहे हैं और आप इस बात को कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, यह सदाशयता तो लीडर ऑफ द हाउस को बतानी चाहिए थी वो आप कर रहे हैं। जज का काम भी आप कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आपकी अध्यक्षीय व्यवस्था को चुनौती नहीं दी जा सकती। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): जिस सरकार के खिलाफ हमने अविश्वास का प्रस्ताव रखा..... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: .... देखिये, आज का बिजनैस जो था वह बाद में लिया जाएगा और अब आप शुरू कीजिये। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा मैं प्रारम्भ करवाती हूं और मूवर बोलेंगे। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, नियम के हिसाब से चलेगा। कानून के खिलाफ नहीं चलेगा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, समय का विभाजन कर दें। अध्यक्ष महोदय, मेरी प्रार्थना है कि समय का विभाजन कर दें। अध्यक्ष महोदय, सब से पहले समय का विभाजन कर दें। आप समय का विभाजन करें। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सारे प्रदेश को चट कर गये, खा-खाकर खोखला कर गये। (व्यवधान)

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (केसरीसिंहपुर): अध्यक्ष महोदय, सारे राज्य की जनता देख रही है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: 4 बजे तक का टाइम। (व्यवधान)

(कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन वैल में नारेबाजी)

तो सी पी जोशी की नारेबाजी चलेगी? (व्यवधान) तो सी पी जोशी की नारेबाजी चलेगी? सी पी जोशी की नारेबाजी चलेगी? (व्यवधान) सी पी जोशी की मनमानी चलेगी? सी पी जोशी की मनमानी भी नहीं चलेगी। (व्यवधान) मैं अविश्वास प्रस्ताव पर, जिन्होंने अविश्वास

का प्रस्ताव रखा है उनको निवेदन कर रही हूं कि वो अविश्वास के प्रस्ताव पर चर्चा प्रारम्भ करें। रामनारायण जी चौधरी, नेता, प्रतिपक्ष, आपने अविश्वास का प्रस्ताव रखा है, आप कृपया अपना भाषण प्रारम्भ करें, चर्चा प्रारम्भ करें। अविश्वास के प्रस्ताव पर चर्चा प्रारम्भ करें। आप यदि चर्चा प्रारम्भ नहीं करेंगे तो मुझे मजबूरन रिजैक्ट करना पड़ेगा। मैं आपको पुन: निवेदन कर रही हूं, नेता, प्रतिपक्ष, आपने सरकार के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव रखा है, आप कृपया चर्चा प्रारम्भ करें। यदि आप चर्चा प्रारम्भ नहीं करेंगे तो मुझे आपके मोशन को, आपके प्रस्ताव को रिजैक्ट करना पड़ेगा। माननीय नेता, प्रतिपक्ष, मैं आपको तीसरी बार निवेदन कर रही हूं कि या तो आप अपने इस अविश्वास के प्रस्ताव पर चर्चा प्रारम्भ करें और यदि आप चर्चा प्रारम्भ नहीं करते हैं तो मुझे इस प्रस्ताव को रिजैक्ट करना पड़ेगा। (व्यवधान)

(कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन वैल में नारेबाजी)

vkj/akt/21092007/1330/1q

श्री अध्यक्ष: मैं आपको एक बार पुन: मौका दे रही हूं। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन के कूप में नारेबाजी)

सदन की कार्यवाही दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 1330 बजे, दो बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

Jkj/akt/14.00/2c/21.09.2007

(14.00 बजे)

(पुन: समवेत् होने पर)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर मैं एक बार पुन: नेता प्रतिपक्ष जिन्होंने इस प्रस्ताव को रखा है, उनका नाम पुकार रही हूं इस पर चर्चा प्रारम्भ करने के लिए।

श्री संयम लोढ़ा: अध्यक्ष महोदय, 307 रूल इसमें लागू ही नहीं होता।

श्री अध्यक्ष: मैं क्योंकि नेता प्रतिपक्ष हैं नहीं, किसी ने इस प्रस्ताव को मूव किया नहीं है इसलिए मैं सदन की राय जानना चाहती हूं कि....

डा. बुलाकीदास कल्ला: अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ सब्मिट करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गलत होगा, बहुत गलत होगा अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: क्या सदन की राय है कि इसे रिजेक्ट कर दिया जाय?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव रिजेक्ट किया गया।

डा. बुलाकीदास कल्ला: अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गलत है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः पुलिस विधेयक पर चर्चा आरम्भ होगी अब। आज के 295 पढ़े हुए मान लिये जायेंगे और स्थगन प्रस्ताव लेप्स, परची लेप्स।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री राजेन्द्र राठौड़ः यह राजस्थान विधान सभा के इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक तरह से खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे वाली बात है कि अविश्वास प्रस्ताव किस गैर जिम्मेदाराना तरीके से रखा....(व्यवधान)

श्री अध्यक्षः सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि । यदि कोई हों तो।(व्यवधान) श्री वीरेन्द्र मीणा।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

वित्त विभाग

श्री वीरेन्द्र मीणा(राज्य मंत्री, वित्त): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार वित्त विभाग की 61 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं।

1- अधिसूचना संख्या एफ.12(28)वित्त/कर/2007-170 दिनांक 30.3.07 जिसके द्वारा वैट एक्ट 2003 की अनुसूची की प्रविष्टि संख्या 131,144,152,153 व 160 में संशोधन किये गये हैं । तथा भाग-ब में नवीन प्रविष्टि 272 से 274 जोड़ी गई है ।

2- अधिसूचना संख्या एफ.12(28)वित्त/कर/2007-171 दिनांक 30.3.07 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.12(63)वित्त/कर/2005-80 दिनांक 11.8.06 (यथा समय-समय पर संशोधित) में संशोधन किया गया हैं ।

3- अधिसूचना संख्या एफ.12(28)वित्त/कर/2007-172 दिनांक 30.3.07 जिसके द्वारा वैट एक्ट 2003 की धारा-8 के अन्तर्गत रंगाई,छपाई की कार्य-संविदा को वैट से कर-मुक्ति प्रदान की गई हैं ।

4- अधिसूचना संख्या एफ.12(28)वित्त/कर/2007-173 दिनांक 30.3.07 जिसके द्वारा वैट एक्ट 2003 की अनुसूची की प्रविष्टि संख्या 58, 83 से 88 तक नई प्रविष्टियाँ जोड़ी गई हैं ।

5- अधिसूचना संख्या एफ.12(28)वित्त/कर/2007-174 दिनांक 30.3.07 जिसके द्वारा वैट एक्ट की धारा-4(5) कार्य अनुसूची -तृतीय में संशोधन कर दालों के लिये रियायती कर दर की अवधि दिनांक 31.3.2008 तक बढ़ाई गई है ।

6- अधिसूचना संख्या एफ.12(28)वित्त/कर/2007-175 दिनांक 30.3.07 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.4(30)वित्त/कर-डीवी/02-152 दिनांक 22.3.02 (यथा समय-समय पर संशोधित) में संशोधन किया गया हैं ।

7- अधिसूचना संख्या एफ.12(28)वित्त/कर/2007-176 दिनांक 30.3.07 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.4(12)वित्त/कर-डीवी/2001-27 दिनांक 29.3.01 (यथा समय-समय पर संशोधित) में संशोधन किया गया हैं ।

8- अधिसूचना संख्या एफ.12(28)वित्त/कर/2007-177 दिनांक 30.3.07 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.4(1)वित्त/कर-डीवी/2000-292 दिनांक 30.3.01 (यथा समय-समय पर संशोधित) में संशोधन किया गया हैं ।

9- अधिसूचना संख्या एफ.12(28)वित्त/कर/2007-178 दिनांक 30.3.07 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.4(58)वित्त/कर-डीवी/1998-126 दिनांक 2.1.02 (यथा समय-समय पर संशोधित) में संशोधन किया गया हैं ।

10- अधिसूचना संख्या एफ.12(28)वित्त/कर/2007-179 दिनांक 30.3.07 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.12(63)वित्त/कर/2005-23 दिनांक 25.4.06 (यथा समय-समय पर संशोधित) में संशोधन किया गया हैं ।

11- अधिसूचना संख्या एफ.2(26)वित्त/कर/2006-180 दिनांक 30.3.07 जिसके द्वारा ऐसे भू-धारक जो नमक उत्पादन हेतु लवणीय/लवण युक्त भूमि धारित करता है या प्रयुक्त करता है, को दिनांक 1.1.06 से कर संदाय से छूट प्रदान की गई है ।

12- अधिसूचना संख्या एफ.12(28)वित्त/कर/2007-181 दिनांक 30.3.07 जिसके द्वारा टेंट डीलर्स के लिए कम्पोजिशन स्कीम फोर रजिस्टर्ड टेन्ट डीलर्स, 2007 जारी की गई है ।

13- अधिसूचना संख्या एफ.12(40)वित्त/कर/2007-01 दिनांक 4.4.07 जिसके द्वारा वैट एक्ट, 2003 की अनुसूची 1 की क्रम संख्या 40 की प्रविष्टियां विलोपित की गई है ।

14- अधिसूचना संख्या एफ.12(40)वित्त/कर/2007-02 दिनांक 4.4.07 जिसके द्वारा वैट एक्ट, 2003 की अनुसूची 4 की क्रम संख्या 136 को विलोपित किया गया है ।

15- अधिसूचना संख्या एफ.12(40)वित्त/कर/2007-03 दिनांक 4.4.07 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.12(14)वित्त/कर/2006-137 दिनांक 8.3.06 (यथा समय-समय पर संशोधित) में संशोधन किया गया हैं ।

16- अधिसूचना संख्या एफ.12(40)वित्त/कर/2007-04 दिनांक 4.4.07 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.12(63)वित्त/कर/2005-160 दिनांक 31.3.06 में संशोधन किया गया हैं ।

17- अधिसूचना संख्या एफ.14(08)वित्त/कर/98 पार्ट-05 दिनांक 4.4.07 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.4(35)वित्त/कर/ग्रुप-4 /87 दिनांक 23.5.87 (यथा समय-समय पर संशोधित) में संशोधन किया गया हैं ।

18- अधिसूचना संख्या एफ.14(8)वित्त/कर/98 पार्ट-06 दिनांक 4.4.07 जिसके द्वारा बिक्री कर प्रोत्साहन योजना, 1987 के क्लाज-2 के.(1)एसएलएससी में केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के तहत संशोधन किया गया हैं ।

19- अधिसूचना संख्या एफ.14(8)वित्त/कर/98 पार्ट-07 दिनांक 4.4.07 जिसके द्वारा बिक्री कर आस्थगन योजना, 1987 की एसएलएससी में संशोधन किया गया हैं ।

20- अधिसूचना संख्या एफ.14(8)वित्त/कर/98 पार्ट-8 दिनांक 4.4.07 जिसके द्वारा बिक्री कर आस्थगन योजना, 1987 की एसएलएससी में केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के तहत संशोधन किया गया हैं ।

21- अधिसूचना संख्या एफ.14(8)वित्त/कर/98 पार्ट-9 दिनांक 4.4.07 जिसके द्वारा नवीन बिक्री कर प्रोत्साहन योजना, 1989 की एसएलएससी में संशोधन किया गया हैं ।

22- अधिसूचना संख्या एफ.14(8)वित्त/कर/98 पार्ट-10 दिनांक 4.4.07 जिसके द्वारा नवीन बिक्री कर प्रोत्साहन योजना, 1989 की एसएलएससी में केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के तहत संशोधन किया गया हैं ।

23- अधिसूचना संख्या एफ.14(8)वित्त/कर/98 पार्ट-11 दिनांक 4.4.07 जिसके द्वारा बिक्री कर आस्थगन योजना, 1989 की एसएलएससी में संशोधन किया गया हैं ।

24- अधिसूचना संख्या एफ.14(8)वित्त/कर/98 पार्ट-12 दिनांक 4.4.07 जिसके द्वारा बिक्री कर आस्थगन योजना सीएसटी में एसएलएससी से संबंधित संशोधन किया गया हैं ।

25- अधिसूचना संख्या एफ.14(8)वित्त/कर/98 पार्ट-13 दिनांक 4.4.07 जिसके द्वारा वर्ष 1998 की बिक्री कर मुक्ति योजना की एसएलएससी में संशोधन किया गया हैं ।

26- अधिसूचना संख्या एफ.14(8)वित्त/कर/98 पार्ट-14 दिनांक 4.4.07 जिसके द्वारा आस्थगन योजना, 1998 की एसएलएससी के गठन में संशोधन किया गया हैं ।

27- अधिसूचना संख्या एफ.4(30)वित्त/कर/97-15 दिनांक 10.4.07 जिसके द्वारा भारतीय खाद्य निगम द्वारा विक्रय किये जाने वाले गेहूँ को कतिपय शर्तों के अधीन वैट से छूट प्रदान की गई हैं ।

28- अधिसूचना संख्या एफ.12(12)वित्त/कर/2007-16 दिनांक 11.4.07 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.4(4)वित्त-कर-डीवी/2003-03 दिनांक 1.4.2003 को विखण्डित किया गया हैं ।

29- अधिसूचना संख्या एफ.12(12)वित्त/कर/2007-17 दिनांक 11.4.07 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.4(4) वित्त-कर-डीवी /2003-02 दिनांक 1.4.2003 को विखण्डित किया गया हैं ।

30- अधिसूचना संख्या एफ.12(12)वित्त/कर/2007-18 दिनांक 11.4.07 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.4(35) वित्त/ग्रुप.4/87 दिनांक 23.5.1987 (यथा समय-समय पर संशोधित) में संशोधन किया गया हैं ।

31- अधिसूचना संख्या एफ.12(12)वित्त/कर/2007-19 दिनांक 11.4.07 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.4(66) वित्त/ग्रुप.4/82-72 दिनांक 26.9.1987 (यथा समय-समय पर संशोधित) में संशोधन किया गया हैं ।

32- अधिसूचना संख्या एफ.12(18)वित्त/कर/2007-20 दिनांक 20.4.07 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.12(63)वित्त/कर/05-12 दिनांक 15.4.06 (यथा समय-समय पर संशोधित) में संशोधन किया गया हैं ।

33- अधिसूचना संख्या एफ.12(42)वित्त/कर/2006-21 दिनांक 28.4.07 जिसके द्वारा रफ कोटा स्टोन पर वैट दर 4 प्रतिशत की गई है ।

34- अधिसूचना संख्या एफ.12(63)वित्त/कर/2005-22 दिनांक 3.5.07 जिसके द्वारा राजस्थान वैल्यू एडेड टैक्स रूल्स, 2006 में संशोधन किया गया है ।

35- अधिसूचना संख्या एफ.2(21)वित्त/कर/2000-23 दिनांक 19.5.07 जिसके द्वारा भारत सरकार की डीआरआई योजना और राज्य सरकार के किसी विभाग, नाबार्ड अथवा अन्य किसी सम्बद्ध एजेन्सी की स्वयं सहायता समूह योजना के अन्तर्गत, अनुसूचित बैंकों एवं सहकारी बैंकों से ऋण लेने के प्रयोजन से निष्पादित दस्तावेज पर प्रभार्य स्टॉम्प शुल्क का परिहार किया गया है ।

36- अधिसूचना संख्या एफ.12(7)वित्त/कर/2007-24 दिनांक 31.5.07 जिसके द्वारा प्लास्टिक वेस्ट से बनने वाले लिक्विड हाईड्रो कॉर्बन पर कर की दर 4 प्रतिशत की गई है ।

37- अधिसूचना संख्या एफ.2(26)वित्त/कर/2006-25 दिनांक 19.6.07 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.12(28)वित्त/कर/2007 -159 दिनांक 9.3.07 में संशोधन किया गया है ।

38- अधिसूचना संख्या एफ.12(28)वित्त/कर/2007 दिनांक 20.6.07 जिसके द्वारा एक शुद्धि पत्र जारी किया गया है ।

39- अधिसूचना संख्या एफ.4(2)वित्त/कर/2004-26 दिनांक 27.6.07 जिसके द्वारा राजस्थान वैल्यू ऐडेड टैक्स एक्ट , 2003 के शिड्यूल-।। की प्रविष्टि 10 को को हटाया गया है ।

40- अधिसूचना संख्या एफ.4(2)वित्त/कर/2004-27 दिनांक 27.6.07 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.4(2)वित्त/कर/2004-42 दिनांक 6.5.06 को विखण्डित किया गया है ।

41- अधिसूचना संख्या एफ.2(18)वित्त/कर/96-पार्ट-28 दिनांक 10.7.07 जिसके द्वारा लवणीय क्षेत्र में मुद्रांक शुल्क के बाबत् संशोधन किया गया है ।

42- अधिसूचना संख्या एफ.2(26)वित्त/कर/96-29 दिनांक 10.7.07 जिसके द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 3.2.07 से पूर्व नियमन कैम्प में आवंटन /नियमन कर पट्टा जारी करने की स्थिति में पट्टा विलेख पर अधिसूचना में उल्लेखित दरों पर मुद्रांक शुल्क घटाया गया है ।

43- अधिसूचना संख्या एफ.12(29)वित्त/कर/2007-30 दिनांक 26.7.07 जिसके द्वारा गन्ने को औद्योगिक इनपुट मानते हुए वैट अधिनियम, 2003 की संलग्न सूची-4 के भाग-ब में प्रविष्टि संख्या-276 जोड़ी गई है ।

44- अधिसूचना संख्या एफ.12(53)वित्त/कर/2007-31 दिनांक 31.7.07 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.12(63)वित्त/कर/2005-70 दिनांक 11.7.06 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है ।

45- अधिसूचना संख्या एफ.4(38)वित्त/कर/2003-32 दिनांक 3.8.07 जिसके द्वारा वैट अधिनियम, 2003 के शिड्यूल-2 में क्रम संख्या-21 जोड़ी गई है ।

46- अधिसूचना संख्या एफ.4(38)वित्त/कर/2003-33 दिनांक 3.8.07 जिसके द्वारा बोच्छसनवासी श्री अक्षर पुरूषोत्तम स्वामी नारायण संस्था को 1.5 करोड़ रफ सैन्डस्टोन खरीद हेतु कर से छूट दी गई है ।

47- अधिसूचना संख्या एफ.12(71)वित्त/कर/2007-34 दिनांक 18.8.07 जिसके द्वारा राजस्थान वैल्यू एडेड टैक्स एक्स, 2003 की अनुसूची-IV के पार्ट-बी में क्रमांक 277 जोड़ी गई है ।

48- अधिसूचना संख्या एफ.2(72)वित्त/कर/2006-35 दिनांक 20.8.07 जिसके द्वारा 125 मेगावाट थर्मल पावर स्थापित करने हेतु उपकरणों तथा भूमि अधिग्रहण करने के लिये स्टाम्प ड्यूटी में छूट दी गई है ।

49 अधिसूचना संख्या एफ.12(43)वित्त/कर/2005-36 दिनांक 24.8.07 जिसके द्वारा सेज क्षेत्र हेतु कुछ सम्पत्तियों के हस्तान्तरण पर लगने वाले कर में छूट दी गई है ।

50- अधिसूचना संख्या एफ.12(43)वित्त/कर/2005-37 दिनांक 24.8.07 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.12(63)वित्त/कर/2005-81 दिनांक 11.8.2006 में संशोधन किया गया है ।

51- अधिसूचना संख्या एफ.12(43)वित्त/कर/2005-38 दिनांक 24.8.07 जिसके द्वारा सेज क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने के लिये आने वाले सामानों पर लगने वाले प्रवेश कर में छूट प्रदान की गई है ।

52- अधिसूचना संख्या एफ.12(43)वित्त/कर/2005-39 दिनांक 24.8.07 जिसके द्वारा सेज क्षेत्र में निर्माण, उत्पादन, प्रोसेसिंग एवं सामानों की मरम्मत हेतु काम में आने वाली बिजली के उपयोग पर लगने वाले विद्युत कर से सशर्त छूट प्रदान की गई है ।

53- अधिसूचना संख्या एफ.12(43)वित्त/कर/2005-40 दिनांक 24.8.07 जिसके द्वारा सेज स्थापित करने हेतु विकासकर्ताओं को किसानों, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास निगम एवं स्थानीय निकायों से भूमि के क्रय हेतु मुद्रांक कर से छूट प्रदान की गई है ।

54- अधिसूचना संख्या एफ.4(12)वित्त/कर/2005-41 दिनांक 24.8.07 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.12(28)वित्त/कर/2007-148 दिनांक 9.3.2007 में संशोधन किया गया है ।

55- अधिसूचना संख्या एफ.2(18)वित्त/कर/96-42 दिनांक 24.8.07 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.2(18)वित्त/कर/96 दिनांक 10.5.2001 को अधिक्रमित किया गया है ।

56- अधिसूचना संख्या एफ.2(6)वित्त/कर/2003-43 दिनांक 30.8.07 जिसके द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण, स्थानीय निकायों एवं राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा काश्तकारों से ली जाने वाली भूमि के बदले आवंटित 25 प्रतिशत तक विकसित भूमि के संबंध में खातेदार/भू-स्वामी स्वयं के नाम निष्पादित दस्तावेजों पर देय मुद्रांक कर से छूट दी गई है ।

57- अधिसूचना संख्या एफ.21(49)वित्त/कर/2003-44 दिनांक 30.8.07 जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लि0, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लि0, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0, अजमेर विद्युत वितरण निगम लि0 एवं जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि0 को राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1997-98 से 2001-2002 तक उन्हें आवंटित की गई भूमि पर मुद्रांक शुल्क में 0.25 प्रतिशत की छूट दी गई है ।

58 - अधिसूचना संख्या एफ.43(12)वित्त/कर/2007-45 दिनांक 6.9.2007 जिसके द्वारा फिल्म ''चक दे इंडिया '' को अधिसूचना जारी होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि तक प्रदर्शन करने पर शत-प्रतिशत मनोरंजन कर से छूट दी गई है ।

59- अधिसूचना संख्या एफ.2(72)वित्त/कर/2006-46 दिनांक 12.9.2007 जिसके द्वारा 125 मेगावाट थर्मल पावर को स्थापित करने पर मुद्रांक शुल्क परिहार हेतु पूर्व में जारी अधिसूचना संख्या एफ.2(72)वित्त/कर/2006-35 दिनांक 20.8.2007 को अतिक्रमित किया गया है ।

60- अधिसूचना संख्या एफ.12(94)वित्त/कर/2007-47 दिनांक 13.9.07 जिसके द्वारा वैट अधिनियम, 2003 के शेड्यूल-VI में संशोधन किया गया है ।

61- अधिसूचना संख्या एफ.12(94)वित्त/कर/2007-48 दिनांक 13.9.07 जिसके द्वारा वैट अधिनियम, 2003 के शेड्यूल-I में संशोधन किया गया है ।

प्रतिवेदन एवं लेखे

राजस्थान स्टेट हैण्डलूम कार्पोरेशन लिमिटेड का 22वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2005-06

श्री अध्यक्ष: श्री नरपत सिंह राजवी। श्री नरपत सिंह राजवी, श्री नरपत सिंह राजवी।

श्री नरपत सिंह राजवी(उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कम्पनी अधिनियम की धारा 619(ए)(3) के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट हैण्डलूम कार्पोरेशन लिमिटेड का 22वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2005-06 सदन की मेज पर रखता हूं।

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का छठा वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2005-2006

श्री अध्यक्ष: श्री गजेन्द्र सिंह।

श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर(विद्युत मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कम्पनी अधिनियम की धारा 619(ए) के अन्तर्गत जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का छठा वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2005-2006 सदन की मेज पर रखता हूं।

विधायी कार्य : विधेयक पर विचार

राजस्थान पुलिस विधेयक, 2007

श्री अध्यक्ष: श्री गुलाबचन्द कटारिया।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में निरन्तर नारेबाजी)

श्री गुलाब चन्द कटारिया(गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पुलिस विधेयक, 2007 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष: श्री हेमराज मीणा। विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव रखना हो तो।

श्री हेमराज मीणा(किशनगंज): मैं वापिस लेता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने एक संशोधन दिया है उसको मैं वापिस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री संयम लोढ़ा। श्री जितेन्द्र सिंह। श्री बी.डी.कल्ला। श्री भरत सिंह। श्री अमराराम धोद।

प्रश्न यह है कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान पुलिस विधेयक, 2007 को विचारार्थ लिया जाय?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार

खण्ड 2 से 43 - कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 43 प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में स्वीकार किये जायें?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 43 प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में स्वीकार किये गये।

खण्ड 44 – डा. बुलाकीदास कल्ला। प्रभारी मंत्री। (व्यवधान) 44 तो रखा ही नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 44 प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड 44 प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड 45 से 59 - कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 45 से 59 प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में स्वीकार किये जायें?

(स्वीकृत)

खण्ड 45 से 59 प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में स्वीकार किये गये।

खण्ड 60 - डा. बुलाकीदास कल्ला। नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 60 प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड 60 प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड 61 - किया ही नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 61 प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

खण्ड 61 प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड 62 से 73 - कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 62 से 73 प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में स्वीकार किये जायं?

(स्वीकृत)

खण्ड 62 से 73 प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में स्वीकार किये गये।

खण्ड 1 – अधिनियमन, सूत्र, नाम आदि - कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड 1 अधिनियमन, सूत्र, नाम आदि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में स्वीकार किया गया।

कोई सदस्य बोलना चाहे? प्रस्ताव करें। श्री गुलाबचन्द कटारिया।

विधेयक का पारण

श्री गुलाब चन्द कटारिया(गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पुलिस विधेयक, 2007 को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष: कोई सदस्य बोलना चाहता है?

Lpm/akt/1410/2d/21092007 (1)

प्रश्न यह है कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान पुलिस विधेयक, 2007 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान पुलिस विधेयक, 2007 को पारित किया गया।

जन गण मन।

राष्ट्र गान

जन गण मन अधिनायक जय हे
भारत भाग्य विधाता
पंजाब सिन्धु गुजरात मराठा
द्राविड़ उत्कल बंगा
विंध्य हिमाचल यमुना गंगा
उच्छल जलधि तरंगा
तव शुभ नामे जागे
तव शुभ आशिष मांगे
गाहे तव जय गाथा
जन गण मंगलदायक जय हे
भारत भाग्य विधाता
जय हे जय हे जय हे
जय जय जय जय हे ।

सदन की बैठक अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 14.11 बजे अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।)